राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक विधेयक, 2021

खंडों का क्रम

खंड

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।
2. परिभाषाएं ।

अध्याय 2

संस्था की स्थापना और निगमन

3. संस्था की स्थापना और निगमन ।
4. संस्था का प्रयोजन और उद्देश्य ।
5. प्राधिकृत शेयर पूंजी ।

अध्याय 3

निदेशक बोर्ड और प्रबंधन

6. निदेशक बोर्ड ।
7. प्रबंधन ।
8. शक्तियों का प्रत्यायोजन ।
9. बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य निदेशकों की पदावधि तथा सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें ।
10. निदेशकों की निर्रहताएं और पद से हटाया जाना ।
11. कतिपय मामलों में अध्यक्ष और अन्य निदेशकों का हटाया जाना ।
12. रिक्ति और निदेशकों द्वारा पदत्याग ।
13. बोर्ड की बैठकें ।
14. नियुक्ति में त्रुटि से कार्यों, आदि का अविधिमान्य नहीं होना ।
15. बोर्ड की समितियां ।
16. बोर्ड या समितियों के सदस्यों द्वारा हित का प्रकटन ।

अध्याय 4

संस्था के क्रियाकलाप

17. संस्था के कृत्य और शक्तियां ।
18. प्रतिषिद्ध कारबार ।
19. संबंधित पक्षकार संव्यवहार ।
20. संस्था के कार्य निष्पादन का पुनर्विलोकन ।

खंड

अध्याय 5

सरकारी अनुदान, प्रत्याभूतियां और अन्य छूट

21. अनुदान और अंशदान ।
22. सरकारी प्रत्याभूति की रियायती दर ।
23. हानि से बचने संबंधी लागत ।

अध्याय 6

लेखा, लेखापरीक्षा और रिपोर्ट

24. संस्था को उदभूत होने वाले लाभ का आरक्षित निधि में व्ययन ।
25. तुलन-पत्र और लेखाओं का तैयार किया जाना ।
26. लेखा परीक्षा ।
27. विवरणी और रिपोर्ट ।

अध्याय 7

प्रकीर्ण

28. प्राप्यों का दायित्वों के रूप में रखा जाना ।
29. अन्य विकास वित्तीय संस्थाओं की स्थापना ।
30. अधिकारी और कर्मचारी ।
31. केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।
32. बोर्ड की विनियम बनाने की शक्ति ।
33. नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना ।
34. सदभावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।
35. पूछताछ, जांच, अन्वेषण और अभियोजन के लिए मंजूरी ।
36. संस्था द्वारा निदेशकों की नियुक्ति का अभिभावी होना ।
37. प्रश्नगत न किए जाने वाले ऋण या अग्रिम की विधिमान्यता ।
38. विश्वसनीयता और गोपनीयता के संबंध में बाध्यताएं ।
39. न्यायनिर्णयन ।
40. निदेशकों की क्षतिपूर्ति ।
41. बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 1891 का संस्था के संबंध में लागू होना ।
42. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 34क और 34कघ का संस्था को लागू होना ।
43. संस्था का समापन ।
44. केंद्रीय सरकार की निदेश जारी करने की शक्ति ।
45. इस अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना ।
46. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।
47. 1934 का अधिनियम सं 2 का संशोधन ।

खंड

48. 1949 का अधिनियम सं0 10 का संशोधन ।

पहली अनुसूची ।

दूसरी अनुसूची ।

तीसरी अनुसूची ।

2021 का विधेयक संख्यांक 76

(दि नेशनल बैंक फार फाइनेंशिंग इन्फ्रास्टक्चर एंड डेवेलपमेंट बिल, 2021 का हिन्दी अनुवाद)

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक विधेयक, 2021

भारत में दीर्घकालिक अनावलंब वित्तपोषण अवसंरचना के विकास में सहायता के लिए, जिसमें अवसंरचना वित्तपोषण हेतु आवश्यक बंधपत्र और व्युत्पाद बाजारों के विकास सम्मिलित है और अवसंरचना वित्तपोषण कारबार करने के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक की स्थापना करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

5 **1.** (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 है । संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी तथा ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश हैं । 5

परिभाषाएं ।

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "संपरीक्षा समिति" से धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन गठित बोर्ड की संपरीक्षा समिति अभिप्रेत है ;

(ख) "बोर्ड" से धारा 6 के अधीन गठित निदेशक बोर्ड अभिप्रेत हैं ;

(ग) "ब्यूरो" से ऐसा निकाय अभिप्रेत है जिसे केंद्रीय सरकार, धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन प्रबंध निदेशक और उप प्रबंध निदेशक की नियुक्ति के लिए और धारा 11 की उपधारा (1) के उपखंड (ii) के अधीन किसी निदेशक को हटाए जाने के लिए अभ्यर्थियों की सिफारिश करने के प्रयोजन के लिए अधिसूचित करे ; 10

(घ) "अध्यक्ष" से धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन नियुक्त बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है ; 15

(ङ) "समिति" से धारा 15 के अधीन गठित बोर्ड की कोई समिति अभिप्रेत है ;

(च) "उप प्रबंध निदेशक" से धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन नियुक्त उप प्रबंध निदेशक अभिप्रेत है ; 20

(छ) "निदेशक" के अंतर्गत धारा 6 के अधीन नियुक्त या नामनिर्दिष्ट बोर्ड के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, उप प्रबंध निदेशक और अन्य निदेशक हैं ;

(ज) "कार्यपालिका समिति" से धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन गठित बोर्ड की कार्यपालिका समिति अभिप्रेत है ;

(झ) "वित्तीय संस्था" का वही अर्थ है जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ड) में है ; 25 2002 का 54

(ञ) "स्वतंत्र निदेशक" से धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन नियुक्त बोर्ड का स्वतंत्र निदेशक अभिप्रेत है ;

(ट) "अवसंरचना" से केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अवसंरचना क्षेत्र की सूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र अभिप्रेत हैं ; 30

(ठ) "संस्था" से धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अभिप्रेत है ;

(ड) "बीमाकर्ता" का वही अर्थ होगा जो बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2 की उपधारा (9) में है ; 1938 का 4 35

(ढ) "प्रबंध निदेशक" से धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन नियुक्त निदेशक अभिप्रेत है ;

(ण) "नामांकन और पारिश्रमिक समिति" से धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन गठित बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति अभिप्रेत है ;

(त) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है और 'अधिसूचित' पद का अर्थ तद्नुसार लगाया जाएगा ;

2013 का 23

(थ) "पेंशन निधि" का वही अर्थ होगा, जो पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ठ) में है ;

(द) "विहित" से केंद्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ध) "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं और इसमें धारा 29 के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए विनियम भी सम्मिलित हैं ;

1934 का 2

(न) "रिजर्व बैंक" से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अधीन स्थापित भारतीय रिजर्व बैंक अभिप्रेत है ;

(प) "जोखिम प्रबंध समिति" से धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन गठित बोर्ड की जोखिम प्रबंध समिति अभिप्रेत है ;

(फ) "अनुसूची" से इस अधिनियम से संलग्न कोई अनुसूची अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु भारतीय संविदा अधिनियम, 1872, भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932, प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992, बैंक और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993, सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 और कंपनी अधिनियम, 2013 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उन अधिनियमों में हैं ।

1872 का 9
1932 का 9
1956 का 42
1992 का 15
1993 का 51
2009 का 6
2013 का 18

अध्याय 2

संस्था की स्थापना और निगमन

संस्था की स्थापना और निगमन ।

3. (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, वित्तीय विकास संस्था के रूप में, जिसे राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक कहा जाएगा, एक संस्था स्थापित की जाएगी ।

(2) संस्था पूर्वोक्त नाम की एक निगमित निकाय होगी, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी, जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जंगम और स्थावर दोनों की प्रकार की संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने और संविदा करने की शक्ति होगी तथा उक्त नाम से वह वाद लाएगी और उस पर वाद लाया जाएगा ।

(3) संस्था का मुख्यालय मुम्बई में होगा ।

(4) संस्था भारत में या बाहर किसी स्थान पर कार्यालय, शाखाएं या अभिकरण स्थापित कर सकेगी ।

संस्था का प्रयोजन और उद्देश्य ।

4. (1) संस्था के उपधारा (2) और उपधारा (3) में यथाउपबंधित विकासात्मक और वित्तीय उद्देश्य होंगे ।

(2) संस्था का विकासात्मक उद्देश्य, भारत में दीर्घकालिक अनावलंब वित्तपोषण अवसंरचना के विकास में सहायता के लिए भवनों को सुकर बनाने और सुसंगत संस्थाओं की अभिवृद्धि के लिए केंद्रीय और राज्य सरकारें, विनियामक, वित्तीय संस्थाएं, संस्थागत विनिधानकर्ता और भारत के भीतर या भारत के बाहर ऐसे अन्य सुसंगत पणधारियों के बीच समन्वय बनाने का होगा ।

(3) संस्था का वित्तीय उद्देश्य, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उधार देना या निवेश करना और भारत में सतत् आर्थिक विकास का पोषण करने की दृष्टि से भारत में या भागतः भारत में और भागतः भारत से बाहर अवस्थित अवसंरचना परियोजनाओं में प्राइवेट सेक्टर के निवेशक और संस्थागत निवेशकों से निवेश को आकर्षित करना होगा ।

प्राधिकृत शेयर पूंजी ।

5. (1) संस्था की प्राधिकृत शेयर पूंजी दस खरब रुपए होगी, जो प्रत्येक दस रुपए के पूर्णतः समादत्त शेयर के दस हजार करोड़ रुपए से विभाजित होगी :

परंतु बोर्ड, शेयर का अभिहित या अंकित मूल्य बढ़ा या घटा सकेगा और ऐसे मूल्य वर्ग में से प्राधिकृत पूंजी को विभाजित कर सकेगा, जैसा वह विनिश्चय करे :

परंतु यह और कि बोर्ड, केंद्रीय सरकार के परामर्श से, पूर्णतः समादत्त शेयरों के सभी मामलों में शेयरों के अध्यधीन प्राधिकृत पूंजी को बढ़ा या घटा सकेगा ।

(2) संस्था का जारी किया गया शेयर पूंजी केंद्रीय सरकार को, ऐसी तारीख को, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, आबंटित किया जाएगा ।

(3) संस्था के शेयर केंद्रीय सरकार, बहुपक्षीय संस्थाएं, संप्रभु स्वास्थ्य निधियां, पेंशन निधियां, बीमाकर्ता, वित्तीय संस्थाएं, बैंक और ऐसी अन्य संस्थाएं, जो विहित की जाएं, द्वारा धारित किए जा सकेंगे :

परंतु केंद्रीय सरकार सभी समयों पर संस्था के शेयरों का कम से कम छब्बीस प्रतिशत धारित करेगी ।

(4) बोर्ड, केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से शेयरों को क्रय द्वारा वापस लेते हुए उसकी शेयर पूंजी को कम कर सकेगा ।

अध्याय 3

निदेशक बोर्ड और प्रबंधन

निदेशक बोर्ड ।

6. (1) संस्था का निदेशक बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करके नियुक्त किया जाने वाला एक अध्यक्ष;

(ख) बोर्ड द्वारा ब्यूरो की सिफारिशों पर और ऐसी प्रक्रिया के और ऐसे अभिकरण से अनापत्ति के जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाए, अध्यधीन रहते हुए नियुक्त किया जाने वाला एक प्रबंध निदेशक;

(ग) तीन से अनधिक उप-प्रबंध निदेशक, उनमें से प्रत्येक बोर्ड द्वारा ब्यूरो की सिफारिशों पर और ऐसी प्रक्रिया के और ऐसे अभिकरणों से अनापत्ति के, जो

केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाए, अध्यधीन रहते हुए नियुक्त किए जाएंगे;

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले दो निदेशक, जो केन्द्रीय सरकार के पदधारी होंगे;

(ङ) शेयर धारकों द्वारा निर्वाचित, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, तीन से अनधिक ऐसे निदेशक, जारी की गई साधारण अंश पूंजी में दस प्रतिशत या अधिक धृति वाले केन्द्रीय सरकार से भिन्न शेयर धारक एक निदेशक को नाम निर्दिष्ट किया जा सकेगा;

(च) नाम निर्देशन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर बोर्ड द्वारा नियुक्त किए जाने वाले तीन से अनधिक या बोर्ड के निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई, जो भी उच्चतर हो, ऐसी संख्या में स्वतंत्र निदेशक:

परंतु यदि शेयर धारकों द्वारा जारी की गई साधारण शेयर पूंजी की धृति का प्रतिशत तीन निदेशकों का निर्वाचन अनुज्ञात नहीं करता है या शेयर धारकों द्वारा निर्वाचित निदेशकों द्वारा भार ग्रहण नहीं किए जाने तक, बोर्ड, नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिशों पर बोर्ड द्वारा नियुक्त किए जाने वाले तीन से अनधिक स्वतंत्र निदेशकों को किसी भी समय ऐसी संख्या में सहयोजित कर सकेगा, जो शेयर धारकों द्वारा निर्वाचित निदेशकों द्वारा भार ग्रहण करने तक पद धारण करेंगे और ऐसे सहयोजित स्वतंत्र निदेशक किसी समान संख्या में सहयोजन के क्रम में सेवानिवृत्त होंगे:

परंतु यह और कि खंड (ङ) और खंड (च) में विनिर्दिष्ट निदेशकों में कम से कम एक महिला होगी ।

(2) प्रबंध निदेशक और उप प्रबंध निदेशक बोर्ड के पूर्णकालिक निदेशक होंगे ।

(3) कोई व्यक्ति, जो संस्था का वेतन भोगी अधिकारी या अन्य कर्मचारी है प्रबंध निदेशक या उप प्रबंध निदेशक के पद के सिवाय, बोर्ड के निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा ।

(4) अध्यक्ष बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेगा ।

(5) उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन बोर्ड के स्वतंत्र निदेशकों के अधिष्ठापन की निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं ।

(6) उपधारा (1) के खंड (घ) और खंड (च) के अधीन नियुक्त किए गए निदेशक स्वतंत्र निदेशकों को उपलब्ध उन्मुक्तियों के प्रयोजन के लिए, कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन स्वतंत्र निदेशक समझे जाएंगे ।

2013 का 18

7. (1) संस्थान के कार्य और कारबार का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबंधन बोर्ड में निहित होगा, जो उन सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा और वे सभी कार्य करेगा, जो संस्थान द्वारा प्रयुक्त की जा सकती है या किए जा सकते हैं । प्रबंधन ।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए बोर्ड अपने कृत्यों का निर्वहन करने में कारबार सिद्धांतों पर कार्य करेगा ।

शक्तियों का प्रत्यायोजन ।

8. बोर्ड, साधारण या विशेष आदेश द्वारा किसी निदेशक या इस अधिनियम के अधीन गठित समिति या संस्था के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को ऐसी शर्तों और सीमाओं के अध्यधीन रहते हुए, यदि कोई हो, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों और कृत्यों का प्रत्यायोजन कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे ।

बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य निदेशकों की पदावधि तथा सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें ।

9. (1) अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, उप प्रबंध निदेशक या धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट निदेशकों से भिन्न बोर्ड के अन्य निदेशक, ऐसी अवधि के लिए जो पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी, पद धारण करेंगे और दस वर्ष से अनधिक की संपूर्ण पदावधि के अध्यधीन रहते हुए पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे :

परंतु प्रबंध निदेशक और उप प्रबंध निदेशक, क्रमश: पैंसठ वर्ष और बासठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् पद धारण नहीं करेंगे ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, अध्यक्ष और धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन नामनिर्दिष्ट या नियुक्त निदेशक, उन्हें नामनिर्दिष्ट करने वाले या नियुक्त करने वाले प्राधिकरण के प्रसादपर्यंत पद धारण करेंगे ।

(3) केन्द्रीय सरकार या शेयर धारकों और स्वतंत्र निदेशकों द्वारा नामनिर्दिष्ट अध्यक्ष और निदेशक, ऐसी फीस और पारिश्रमिक प्राप्त करेंगे जो विहित जाए:

परंतु इस उपधारा के अधीन संदेय कोई फीस या पारिश्रमिक संस्था के अभिलाभों के साथ नहीं जोड़ी जाएगी ।

(4) प्रबंध निदेशक और उप प्रबंध निदेशक को संदेय वेतन और भत्ते बाजार मानकों द्वारा मार्गदर्शित नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिशों पर विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएंगे ।

(5) अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, उप प्रबंध निदेशक और धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट निदेशकों से भिन्न बोर्ड के अन्य निदेशक की पदावधि और सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं ।

(6) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी निदेशक को, जो केन्द्रीय सरकार का कोई अधिकारी है, कोई फीस संदेय नहीं होगी ।

निदेशकों की निर्रहताएं और पद से हटाया जाना ।

10. (1) केन्द्रीय सरकार किसी निदेशक को पद से हटा सकेगी—

(क) जिसे दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है; या

(ख) जो निदेशक के रूप में कार्य करने में शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया है; या

(ग) जिसे किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतवर्लित है; या

(घ) उसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है जिससे निदेशक के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या

(ङ) उसने केन्द्रीय सरकार की राय में अपनी स्थिति का ऐसे दुरुपयोग

किया है जिससे उसके पद पर बने रहने से लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; या

(च) उसे किन्हीं कारणों से—

(i) सरकार, या

(ii) किसी बैंक जिसके अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक भी हैं; या

(iii) किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम, या

(iv) सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी अन्य निगम,

की सेवाओं से हटाया गया है या पदच्युत किया गया है ।

(2) किसी निदेशक को उपधारा (1) के खंड (घ) या खंड (ङ) के अधीन मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना नहीं हटाया जाएगा ।

(3) कोई निदेशक जो संसद या किसी राज्य विधान मंडल में सदस्य के रूप में निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट हो जाता है, वह यथास्थिति ऐसे निर्वाचन या नामनिर्देशन की तारीख से निदेशक नहीं रहेगा ।

(4) इस धारा के अधीन निर्रहताएं या हटाया जाना—

(क) न्यायनिर्णयन, दंडादेश या आदेश की तारीख से तीस दिन के लिए प्रभावी नहीं होगी; या

(ख) जहां ऐसे न्यायनिर्णयन, दंडादेश या दोषसिद्धि के विरुद्ध तीस दिवस के भीतर कोई अपील या याचिका दाखिल की जाती है जिसके परिणामस्वरूप दंडादेश अथवा आदेश दिया जाता है, तो ऐसी तारीख से जिसको ऐसी अपील या याचिका का निपटान किया जाता है, सात दिवस की समाप्ति तक प्रभावी नहीं होगी ।

कतिपय मामलों में अध्यक्ष और अन्य निदेशकों का हटाया जाना ।

11. (1) धारा 10 में किसी बात के होते हुए भी,—

(i) केन्द्रीय सरकार, अध्यक्ष को रिजर्व बैंक से परामर्श करके पद से हटा सकेगी और रिक्ति को भरने के लिए उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगी;

(ii) बोर्ड, ब्यूरो से परामर्श करके धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (ख) या खंड (ग) अथवा खंड (च) के अधीन नियुक्त किसी निदेशक को उसके पद से हटा सकेगा और रिक्ति को भरने के लिए उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा;

(iii) केन्द्रीय सरकार से भिन्न पणधारी, ऐसे पणधारियों के जो ऐसे सभी पणधारियों द्वारा धारित शेयर पूंजी के आधे से अनधिक सकलधृति रखते हैं, बहुमत द्वारा पारित संकल्प द्वारा, धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (ङ) के अधीन निर्वाचित निदेशक को हटा सकेंगे और रिक्ति को भरने के लिए उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को निर्वाचित कर सकेंगे :

परंतु कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन अपने पद से नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे ऐसे हटाए जाने के विरुद्ध कारण दर्शाने का अवसर प्रदान नहीं किया जाता

है ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार को रिजर्व बैंक से परामर्श करके, यथास्थिति अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, उप प्रबंध निदेशक या निदेशकों को तीन मास की लिखित सूचना या ऐसी सूचना के बजाय तीन मास का वेतन और भत्ते प्रदान करते हुए धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन विहित पदावधि की समाप्ति से पहले किसी भी समय उनकी पदावधि समाप्त करने का अधिकार होगा ।

रिक्ति और निदेशकों द्वारा पदत्याग ।

12. (1) यदि निदेशक—

(क) धारा 10 में उल्लिखित किन्हीं निरर्हताओं के अध्यधीन हो जाता है या धारा 11 के अधीन हटा दिया जाता है ; या

(ख) वह बोर्ड की तीन या अधिक लगातार बैठकों से अनुपस्थित रहता है,

तो उसका पद रिक्त हो जाएगा ।

(2) कोई निदेशक बोर्ड को लिखित सूचना देकर अपना पद त्याग सकेगा और बोर्ड द्वारा ऐसा त्यागपत्र स्वीकार किए जाने पर या यदि ऐसा त्यागपत्र यथाशीघ्र स्वीकार नहीं किया जाता है, बोर्ड द्वारा उसके प्राप्त किए जाने से तीन मास के अवसान पर, ऐसे निदेशक का पद रिक्त समझा जाएगा ।

बोर्ड की बैठकें ।

13. (1) बोर्ड ऐसे समय और स्थानों पर बैठकें करेगा और ऐसी बैठकों के कारबार संव्यवहार के संबंध में ऐसी प्रक्रियाओं के नियमों का पालन करेगा जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

(2) बोर्ड की बैठक प्रत्येक कैलेंडर तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी और प्रत्येक वर्ष ऐसी कम से कम चार बैठकें आयोजित की जाएंगी ।

(3) बोर्ड का अध्यक्ष या यदि किसी कारण से वह बैठक में उपस्थित होने के लिए असमर्थ है, प्रबंध निदेशक या अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक दोनों के बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ होने की दशा में इस संबंध में अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अन्य निदेशक और ऐसे नाम निर्देशन की अनुपस्थिति में निदेशकों द्वारा बैठक में उपस्थित निदेशकों में से निर्वाचित कोई निदेशक बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

(4) बोर्ड की किसी बैठक के समक्ष आने वाले सभी प्रश्न उपस्थित और मतदान करने वाले निदेशकों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे और मत समान होने की दशा में अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति निर्णायक मत देगा ।

(5) उपधारा (4) में यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक निदेशक एक मत देगा ।

नियुक्ति में त्रुटि से कार्यों, आदि का अविधिमान्य नहीं होना ।

14. (1) बोर्ड या उसकी किसी समिति का कोई कार्य या कार्यवाहियां केवल यथास्थिति, बोर्ड या समिति में विद्यमान किसी रिक्ति या उसके गठन में किसी त्रुटि के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।

(2) बोर्ड के निदेशक के रूप में या उसकी समिति के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति द्वारा सद्भावनापूर्वक किया गया कोई कार्य केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं हो जाएगा कि वह निदेशक होने के लिए निरर्हित था या उसकी नियुक्ति में कोई

अन्य त्रुटि थी ।

15. (1) बोर्ड एक नाम निर्देशन और पारिश्रमिक समिति, एक जोखिम प्रबंध समिति और एक संपरीक्षा समिति का गठन करेगा, प्रत्येक बहुमत का निर्माण करने वाले स्वतंत्र निदेशकों के साथ न्यूनतम तीन निदेशकों से मिलकर बनेगी । बोर्ड की समितियां।

(2) बोर्ड एक कार्यकारी समिति का गठन करेगा जिसमें ऐसी संख्या में निदेशक होंगे जो आवश्यक समझे जाएं ।

(3) संस्था का अध्यक्ष संपरीक्षा समिति, नाम निर्देशन और पारिश्रमिक समिति या कार्यकारी समिति का सदस्य नहीं होगा ।

(4) बोर्ड ऐसी अन्य समितियों का गठन कर सकेगा, जैसा वह उपयुक्त समझे ।

(5) इस धारा के अधीन गठित कार्यकारी समिति या अन्य समितियां ऐसे समय और स्थानों पर बैठकें करेंगी और ऐसी बैठकों के कारबार संव्यवहार के संबंध में ऐसी प्रक्रियाओं के नियमों का पालन करेंगी और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगी, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

16. (1) प्रत्येक निदेशक, बोर्ड की ऐसी पहली बैठक में, जिसमें वह निदेशक के रूप में भाग लेता है और उसके पश्चात् प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बोर्ड की पहली बैठक में या जब कभी पहले से किए गए प्रकटनों में कोई परिवर्तन होता है, तो ऐसे परिवर्तन के पश्चात् हुई बोर्ड की पहली बैठक में, किसी निगमित निकाय में अपना संबंध या हित जिसके अंतर्गत शेयर धारिता भी है, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रकट करेगा । बोर्ड या समितियों के सदस्यों द्वारा हित का प्रकटन ।

(2) किसी कंपनी का प्रत्येक निदेशक जो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरीके से, संविदा या ठहराव या प्रस्तावित संविदा या ठहराव जो संस्था द्वारा की जाती है या की जानी है, से संबद्ध या हितबंद्ध है—

(क) ऐसी किसी निगमित निकाय के साथ, जिसमे ऐसा निदेशक या किसी अन्य निदेशक के साथ सहयोजन में ऐसा निदेशक, उस निगमित निकाय के 2 प्रतिशत शेयर धारण से अधिक शेयर धारण करता है या उस निगमित निकाय का संप्रवर्तक, प्रबंधक, मुख्य कार्यपालक अधिकारी या न्यासी है, या

(ख) किसी फर्म या अन्य अस्तित्व के साथ, जिसमें ऐसा निदेशक, यथास्थिति भागीदार, स्वामी या सदस्य है,

बोर्ड या उसकी समिति की किसी बैठक में भाग नहीं लेगा जिसमें ऐसी संविदा या ठहराव पर विचार किया जाता है या ऐसे करार या ठहराव के संबंध में कोई अन्य विचार-विमर्श या चर्चा की जाती है और बोर्ड या उसकी समिति की बैठक में ऐसे विचार-विमर्श की दशा में यथास्थिति बोर्ड या समिति में उसके संबंध या हित की प्रकृति का प्रकटन होता है:

परंतु जहां कोई निदेशक, जो ऐसी संविदा या ठहराव करने के समय इस प्रकार संबंध या हितबद्ध नहीं है, वह यदि संविदा या ठहराव किए जाने के पश्चात् संबद्ध या हितबद्ध हो जाता है, तो उसके संबद्ध या हितबद्ध हो जाने पर अपने संबंध या हित को तुरंत या उसके संबद्ध या हितबद्ध हो जाने के पश्चात् आयोजित बोर्ड की पहली बैठक में प्रकट करेगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन प्रकटन के बिना संस्था द्वारा की गई कोई संविदा या

ठहराव या ऐसे किसी निदेशक द्वारा जो संविदा या ठहराव में किसी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध या हितबद्ध है, भाग लेने से, की गई कोई संविदा या ठहराव संस्था के विकल्प पर शून्यकरणीय होगी ।

(4) ऐसे कर्मचारी जिन्हें बोर्ड संस्थान में ज्येष्ठ प्रबंधन गठित करने वाला विनिर्दिष्ट करे, बोर्ड को सभी सामग्री, वित्तीय और वाणिज्यिक संव्यवहार जिनमें उनका व्यक्तिक हित है जिनसे संस्थान के हित से मतभेद संभाव्य है का प्रकटन करेंगे और बोर्ड ऐसे संव्यवहारों पर उनकी किसी तात्विक सीमा सहित नीति विनिर्मित करेगा और ऐसी नीति का तीन वर्ष में कम से कम एक बार पुनर्विलोकन करेगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए हित में विरोध ऐसे निकायों जिनमें ज्येष्ठ प्रबंधन व्यष्टि या उनके नातेदार शेयरधारण, आदि हैं, से वाणिज्यिक व्यौवहार करने वाली संस्था या उसकी किसी समनुषंगियों या सहायक कंपनियों के शेयरों से व्यवहार करने से संबंधित हैं ।

(5) एक व्यष्टि जो निदेशक है उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करता है या उपधारा (4) में निर्दिष्ट कोई कर्मचारी ऐसे उपबंधों का उल्लंघन करता है, ऐसा व्यष्टि या कर्मचारी एक लाख रुपए तक की शास्ति के संदाय का दायी होगा ।

(6) उपधारा (5) में अंतर्विष्ट किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह संस्थान पर निर्भर है कि वह ऐसे निदेशक या किसी अन्य कर्मचारी जो इस धारा के उपबंधों के उल्लंघन में ऐसा करार या ठहराव करता है से ऐसे ठहराव या करार के परिणामस्वरूप उसके द्वारा वहन की गई किसी हानि की वसूली के लिए कार्यवाही करे ।

स्पष्टीकरण—इस धारा और धारा 19 के प्रयोजनों के लिए, "निगमित निकाय" पद में कोई कंपनी, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 के खंड (11) के अधीन यथा परिभाषित निगमित निकाय, फर्म, वित्तीय संस्थान या अनुसूचित बैंक या किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित पब्लिक सेक्टर उपक्रम और व्यक्तियों का कोई अन्य निगमित संगम या व्यष्टि निकाय सम्मिलित है । 2013 का 18

अध्याय 4

संस्था के क्रियाकलाप

संस्था के कृत्य और शक्तियां ।

17. (1) संस्था निम्नलिखित कृत्य करेगी और निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगी, अर्थात् :—

(i) उसके कृत्यों का निष्पादन करने के लिए भारत या विदेश में समनुषंगियों या संयुक्त उद्यमों अथवा शाखाओं की रचना करना; और ऐसी समनुषंगी कंपनी और संयुक्त उद्यम या शाखा के साथ ऐसी समनुषंगी कंपनी और संयुक्त उद्यम या शाखा का वित्तपोषण करने अथवा उनके किन्हीं दायित्वों को प्रतिभूत करने सहित कोई ठहराव करना अथवा ऐसे अन्य ठहराव जिन्हे बोर्ड वांछनीय समझे करना ।

(ii) उसके प्रचालन और अवसंरचना वित्त के क्षेत्र में लगी हुई विभिन्न

संस्थाओं के प्रचालन में समन्वय करना और अवसंरचना वित्त से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञ कर्मचारिवृंद रखना और केन्द्रीय सरकार, रिजर्व बैंक और अवसंरचना वित्त के क्षेत्र में लगी हुई विभिन्न संस्थाओं को परामर्श उपलब्ध कराना;

(iii) ऐसी प्रकृति की निधियों की स्थापना के लिए जो भारत में या भागत: भारत में और भागत: विदेश में अवस्थित अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण में सहायता करेगी, भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अधीन न्यासों की स्थापना करना जिसके अंतर्गत भू-संपदा विनिधान न्यास और अवसंरचना विनिधान न्यास भी हैं;

1882 का 2

(iv) अवसंरचना वित्तपोषण जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रॉनिक और बातचीत से तय की गयी बाजार अवसंरचना को सुकर बनाना, विनिधानकर्ता की सुरक्षा, अवसंरचना न्यायनिर्णयन, आदि भी है, के लिए बंधपत्रों, ऋणों और व्युत्पन्नों के लिए मूल और नकद बाजार के विकास में सहायता करना, ;

(v) भारत में या भागत: भारत में और भागत: विदेश में अवस्थित अवसंरचना परियोजनाओं को उधार देना और उनमें विनिधान करना, जिसके अंतर्गत उसकी प्राप्तियों के प्रतिभूतिकरण, प्रत्यय निम्नांकन द्वारा उधार और विनिधान भी है, जिसके अंतर्गत निकासी प्रमाण-पत्र या प्रत्यक्ष समनुदेशन, अंतरण या नवीयन द्वारा या परियोजना से प्राप्तियों द्वारा प्रतिभूत संव्यवहार सहित अभिनव वित्तीय साधनों द्वारा उधार और विनिधान भी है ;

(vi) भारत में या भागत: भारत में और भागत: विदेश में अवस्थित अवसंरचना परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रयोजनों के लिए किसी अवसंरचना निधीयन कंपनी या कानूनी निगम या न्यास या किसी वित्तीय संस्था के ऋण और अधिदायों का विस्तार करना ;

(vii) भारत में या भागत: भारत में और भागत: विदेश में अवस्थित अवसंरचना परियोजनाओं के लिए उधार देने वाले द्वारा बढ़ाए गए विद्यमान ऋणों को अधिकार में लेना या उनकी पुनर्वित्तपूर्ति करना;

(viii) उसके द्वारा प्रदत्त ऋणों और अधिदायों का प्रतिफल के लिए प्रतिभूति सहित या उसके बिना न्यासों को अंतरण करना;

(ix) संस्था द्वारा धारित ऋण या अधिदायों को अलग रख देना और ऋण बाध्यता, फायदाप्रद हित का न्यास प्रमाण पत्र या अन्य लिखत के रूप में जो चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो इस प्रकार अलग रखे गए ऐसे ऋण या अधिदायों पर आधारित प्रतिभूतियों को जारी करना और उनका विक्रय करना और ऐसी प्रतिभूतियों के धारकों के लिए न्यासी के रूप में कार्य करना ;

(x) संस्थान को जारी की गई प्रतिभूतियां समनुदेशित करना;

(xi) किसी कंपनी या न्यास या रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी या सहकारी सोसाइटी या संगम या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या अवसंरचना वित्तपोषण वित्तीय संस्था द्वारा जारी और प्रतिभूत, स्टॉकों, शेयरों, बंधपत्रों, डिबेंचर स्टॉकों, ऋण प्रतिभूतियों, बाध्यताओं और प्रतिभूतियों, वाणिज्यिक पत्रों को भारत में या

भागत: भारत में और भागत: विदेश में अवस्थित अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण को सुकर बनाने के लिए या अवसंरचना वित्तपोषण के लिए बंधपत्र बाजार के मजबूत करने को सुकर बनाने के लिए प्रतिश्रुत करना या क्रय, निम्नांकन, अर्जन, धारण या विक्रय करना ;

(xii) ऋण के माध्यम से या अन्यथा, रूपयें या विदेशी मुद्रा में धन उधार लेना या समुत्थापित करना या डिबेंचरों, डिबेंचर स्टॉक, बंधपत्रों, सभी प्रकार की बाध्यताओं, बंधकों और प्रतिभूतियों, चाहे शाश्वत या पर्यवसेय हो और चाहे विमोचनीय या अन्यथा हो, के निर्गम और विक्रय द्वारा धन का संदाय सुनिश्चित करना या उसे न्यास विलेख या अन्यथा द्वारा संस्था के वचनबंध पर जिसके अंतर्गत उसकी प्राधिकृत और जारी की गई पूंजी भी है अथवा संस्था की वर्तमान या भविष्यवर्ती किसी विनिर्दिष्ट संपत्ति और अधिकार या अन्यथा पर भारित या प्रतिभूत करना ;

(xiii) केन्द्रीय सरकार, अनुसूचित बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, पारस्परिक निधियों, किसी वर्ग के व्यक्तियों और केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य संस्था या प्राधिकरण या संगठन से ऐसी निबंधनों और शर्तों पर जिन पर सहमति हो धन उधार लेना और केवल प्रबंध आस्ति दायित्व असंतुलन के लिए और ना की किसी अन्य कारबार प्रयोजन के लिए, अल्पावधि ऋण स्वीकार करना;

(xiv) क्रय या विक्रय या ऐसे अन्य विदेशी विनिमय व्यौहार करना जो उसके कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझे जाएं;

(xv) भागीदारी प्रमाण पत्र और ऋण प्रतिभूतियां जारी करना और अवसंरचना विकास और वित्तपोषण में लगी हुई कंपनियों और अन्य इकाईयों के ऋण पत्राधान के प्रतिभूतिकरण को प्रौन्नत करना और सुकर बनाना तथा प्रतिभूत प्राप्तियों के लिए द्वितीयक बाजार का सृजन और विकास करना जिसके अंतर्गत मध्यवर्ती के मद्धे कार्य करना भी है ;

(xvi) प्रतिभूति पर या उसके बिना धन उधार देना और न्यास में धृति पर अधिदाय देना, किन्हीं प्रतिभूतियों या विनिधानों को कमीशन पर या अन्यथा जारी करना, क्रय करना, विक्रय करना या अन्यथा अर्जित करना या उनका निपटान करना अथवा इस प्रकार के किसी प्रयोजन के लिए अभिकर्ता के रूप में कार्य करना;

(xvii) परियोजना के जीवन चक्र में अवसंरचना क्षेत्र में कार्य करने वाली कंपनियों को उधार देना या उनमें विनिधान करना या उनकी वृत्तिक या तकनीकी सेवाएं अर्जित करना;

(xviii) भारत में या भागत: भारत में और भागत: विदेश में अवस्थित अवसंरचना परियोजनाओं के लिए प्रत्यय वृद्धि सुविधाओं के विस्तार के मद्धे सहित वित्तपोषण के लिए अवसंरचना कंपनियों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी ऋण प्रतिभूतियों से संबंधित संव्यवहारों और सेवाओं के संबंध में मध्यवर्ती के रूप में कार्य करना;

(xix) अवसंरचना वित्तपोषण के क्षेत्र में प्रभावी विवाद समाधान के लिए

विभिन्न सरकारी प्रधिकारियों और पणधारियों के साथ बातचीत या विचार-विमर्श में सक्रिय भूमिका निभाना ;

(xx) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से जिसके अंतर्गत विश्व बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जापान इंटरनेशन कॉपरेशन एजेंसी, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फार इंटरनेशनल डेवलपमेंट, क्रेडिटेंटस्टेल्टफर वाइडरराऊफ्ब, यूरोपियन इंवेस्टमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन और अन्य संगठन तथा अभिकरण भी हैं, अनुदान, सहायता, सहायकियां, निधियां या दान, आदि प्राप्त करने के लिए आवेदन करना, स्वीकार करना, प्रशासन करना और प्रबंध करना और अवसंरचना विकास परियोजना में विदेशी भागीदारी को सुकर बनाना;

(xxi) भारत में या भागत: भारत में और भागत: विदेश में अवस्थित अवसंरचना परियोजनाओं का निधिकरण करने वाली किसी वित्तीय संस्था द्वारा किए गए ऋण या प्रत्यय ठहराव के लिए या जारी किए गए डिबेंचर या बंधपत्र के लिए प्रत्याभूति, आश्वासन पत्र या प्रत्यय पत्र जारी करना;

(xxii) रिजर्व बैंक से मांग पर या उस तारीख जिसको से ऐसा धन, स्टॉक, निधियों या प्रतिभूतियों (स्थावर संपत्ति से भिन्न) की जिनमें भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन न्यासी न्यास धन को विनिधान करने के लिए प्राधिकृत है, प्रतिभूति के विरुद्ध इस प्रकार धन उधार लिया जाता है, नब्बे दिवस से अनधिक की नियत अवधि की समाप्ति पर, पुन:संदेय धन उधार लेना;

(xxiii) सद्भाविक वाणिज्यिक या व्यापार संव्यवहारों से जो उधार लिए जाने की तारीख से पांच वर्ष के भीतर परिपक्व होने वाले हैं उद्भूत विनिमयपत्र या वचनपत्र के विरुद्ध रिजर्व बैंक से धन उधार लेना;

(xxiv) किसी ऋण को जिसे उधार लेने वाले तक विस्तृत किया गया है, साधारण शेयर में परिवर्तित करना; और

(xxv) किसी अन्य प्रकार का कारबार या किसी अन्य प्रकार के क्रियाकलाप करना जिसे केन्द्रीय सरकार रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करके प्राधिकृत करे ।

(2) उपधारा (1) के अनुसरण में संस्था या तो स्वयं या उसकी किसी समनुषंगी या संयुक्त उद्यम के माध्यम से या किसी अन्य के सहयोजन से निम्नलिखित कृत्यों का निष्पादन कर सकेगी, अर्थात् :—

(क) भारत में या भागत: भारत में और भागत: विदेश में अवस्थित अवसंरचना विकास परियोजनाओं में केंद्रीय सरकार, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और भारत या विदेश से संस्थागत विनिधानकर्ताओं की भागीदारी संचालित करना और सुकर बनाना।

(ख) प्रशिक्षण, सूचना के प्रसार और अनुसंधान की प्रौन्नति के लिए जिसके अंतर्गत अवसंरचना विकास के क्षेत्र में अध्ययन, अनुसंधान, तकनीकी-आर्थिक और अन्य सर्वेक्षण कराना भी है, सुविधाएं प्रदान करना और उक्त प्रयोजनों के लिए वह ऋण या अधिदाय अथवा अनुदान जिसके अंतर्गत अध्येतावृत्ति के लिए उपबंधों के माध्यम से अनुदान भी है, कर सकेगा और किसी संस्थान की अध्यक्षता करना;

(ग) अवसंरचना विकास क्रियाकलापों में लगे हुए किसी व्यक्ति को तकनीकी, विधिक, विपणन और प्रशासनिक सहायता प्रदान करना;

(घ) अवसंरचना विकास, परियोजना निर्माण, पूंजी निर्माण या प्रवर्तन के पश्चात्वर्ती प्रचालन और भारत या विदेश से संबंधित अन्य मामलों के क्षेत्र में परामर्शी सेवाएं प्रदान करना;

(ङ) किन्हीं डिबेंचरों, डिबेंचर स्टॉक या अन्य प्रतिभूतियों या बाध्यताओं को गठित करने वालेख या उन्हें सुनिश्चित करने वाले किन्ही विलेखों के न्यासी के रूप में कार्य करना और कोई अन्य न्यास प्रारंभ करना और उसका निष्पादन करना तथा निष्पादक, प्रशासक, प्रापक, कोषाध्यक्ष, अभिरक्षक और न्यास निगम का पद ग्रहण करना और उनकी शक्तियों का प्रयोग करना;

(च) किसी उपक्रम का अर्जन करना जिसके अंतर्गत किसी संस्थान का ऐसा कारबार, आस्तियां और दायित्व भी हैं जिनका मुख्य उद्देश्य भारत में या भागत: भारत में और भागत: विदेश में अवस्थित परियोजनाओं के लिए अवसंरचना वित्तपोषण को प्रौन्नत करना या उसका विकास करना है;

(छ) भारत में या भागत: भारत में और भागत: विदेश में अवस्थित अवसंरचना परियोजनाओं और सुविधाओं की प्रौन्नति, वित्तपोषण और विकास के प्रयोजन के लिए समुचित वित्तीय लिखतों के विकास और प्रसार, सभी प्रकार के ऋण और अधिदायों के परक्राम्य और संसाधनों के संग्रहण के लिए स्कीमें विनिर्मित करने के माध्यम से वित्त मध्यवर्ती के रूप में कार्य करना;

(ज) भारत में या भागत: भारत में और भागत: विदेश में अवस्थित अवसंरचना परियोजनाओं के प्रस्तावकों और अवसंरचना परियोजनाओं में विनिधानकर्ताओं के साथ प्रस्तावों की संरचना करना और करारों पर बातचीत करना;

(झ) भारत में या विदेश के किसी बैंक में कोई खाता खोलना या किसी अभिकरण के साथ ठहराव करना अथवा भारत में या विदेश के किसी बैंक या अन्य संस्था के अभिकर्ता या तत्स्थानी के रूप में कार्य करना; और

(ञ) ऐसे अन्य कार्य करना जो इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उसकी शक्तियों का प्रयोग करने या उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने के आनुषंगिक या पारिणामिक हो जिसके अंतर्गत उसकी किन्हीं आस्तियों का विक्रय या अंतरण भी है ।

(3) केन्द्रीय सरकार, संस्थान द्वारा अनुरोध किए जाने पर संस्थान द्वारा जारी किए गए बंधपत्रों, डिबेंचरों और ऋणों को प्रत्याभूत कर सकेगी जिससे मूल का प्रतिदाय और ब्याज का संदाय ऐसी दर, निबंधनों और शर्तों पर किया जा सके जिस पर केन्द्रीय सरकार सहमत हो ।

प्रतिषिद्ध कारबार ।

18. (1) संस्था उसके अपने बंधपत्र या डिबेंचरों की प्रतिभूति पर कोई ऋण या अधिदाय नहीं देगी ।

(2) संस्था, किसी व्यक्ति या व्यक्ति निकाय को जिसमें संस्था का कोई निदेशक स्वत्वधारी, भागीदार, निदेशक, कर्मचारी, प्रत्याभूति-दाता है या जिसमें संस्था के एक

या अधिक निदेशक कोई सारवान् हित रखते हैं, कोई ऋण या अभिदाय नहीं देगा ।

(3) उपधारा (2) किसी उधार लेने वाले पर लागू नहीं होगी यदि संस्था का कोई निदेशक, संस्था या केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे उधार लेने वाले के बोर्ड पर निदेशक के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाता है या संस्थान द्वारा ऐसे उधार लेने वाले में धारित शेयरों के फलस्वरूप उधार लेने वाले के बोर्ड पर निर्वाचित किया जाता है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए उधार लेने वाले के संबंध में "सारवान् हित" से संस्था के एक या अधिक निदेशकों द्वारा या ऐसे निदेशक के कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (77) में यथा परिभाषित किसी नातेदार द्वारा उधार लेने वाले के शेयर में या तो एकल रूप से या साथ-साथ धारित फायदाप्रद हित अभिप्रेत है और उस पर समादत्त सकल रकम या तो पचास लाख रुपए से अधिक या उधार लेने वाले की समादत्त शेयर पूंजी का दो प्रतिशत, जो भी कम हो या ऐसी अन्य सीमा जो विहित की जाए, हैं ।

2013 का 18

संबंधित पक्षकार संव्यवहार ।

19. (1) सिवाय बोर्ड की सहमति के और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, संस्था किसी संबंधित पक्षकार के साथ निम्नलिखित के संबंध में कोई संविदा या ठहराव नहीं करेगी—

(क) माल या सामग्रियों का विक्रय, क्रय या पूर्ति ;

(ख) किसी भी किस्म की संपत्ति का विक्रय या अन्यथा निपटान या क्रय ;

(ग) किसी भी किस्म की संपत्ति को पट्टे पर देना ;

(घ) किन्हीं सेवाओं का लेना या प्रदान करना ;

(ङ) माल, सामग्रियों, सेवाओं या संपत्ति का क्रय या विक्रय करने के लिए किसी अभिकर्ता की नियुक्ति करना ;

(च) ऐसे संबंधित पक्षकार की संस्था, उसकी समनुषंगियों या संयुक्त उद्यमों या सहयोजित कंपनियों में किसी पद या लाभ के स्थान पर नियुक्ति करना ;

(छ) संस्था की किन्हीं प्रतिभूतियों या उसकी व्युत्पन्नियों के अंशदान का अवमूल्यन करना :

परंतु कोई संविदा या ठहराव, सिवाय शेयरधारकों की साधारण बैठक में पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किए जाएंगे, जिसमें ऐसी धनराशियों, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, से अधिक संव्यवहार अंतर्वलित है, :

परंतु यह और कि कोई शेयरधारक ऐसी साधारण बैठक में किसी संविदा या ठहराव का अनुमोदन करने के लिए मत नहीं देगा जो संस्था द्वारा किया जाए, यदि ऐसा शेयरधारक संबंधित पक्षकार है :

परंतु यह भी कि इस उपधारा की कोई बात संस्था द्वारा अन्य संव्यवहारों से भिन्न कारबार के सामान्य प्रक्रम में किए गए संव्यवहारों, जो आसन्निकट कीमत के आधार पर नहीं है, को लागू नहीं होगी ।

परंतु यह भी कि पहले परंतुक के अधीन अनुमोदन की अपेक्षा ऐसे संव्यवहारों को लागू नहीं होगी, जो संस्था और उसके पूर्णतया स्वामित्वाधीन समनुषंगी, यदि कोई हो, जिसके वित्तीय विवरणों को संस्था के साथ समेकित किया जाता है और अंगीकार किए जाने के लिए साधारण बैठक में शेयरधारकों के समक्ष रखा जाता है, के बीच किए जाते हैं ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में,—

(क) "पद या लाभ का स्थान" पद से कोई पद या स्थान अभिप्रेत है—

(i) जहां ऐसा पद या स्थान किसी निदेशक द्वारा धृत है, यदि उसे धारण करने वाला निदेशक संस्था से उस पारिश्रमिक, जिसका वह निदेशक के रूप में हकदार है, वेतन, फीस, कमीशन, परिलब्धियां, किसी भाटक मुक्त आवास या अन्यथा से अधिक पारिश्रमिक के माध्यम से कुछ प्राप्त करता है ;

(ii) जहां ऐसा पद या स्थान निदेशक से भिन्न किसी व्यष्टि या किसी फर्म, प्राइवेट कंपनी या अन्य निगमित निकाय द्वारा धारण किया जाता है, यदि व्यष्टि, फर्म, प्राइवेट कंपनी या निगमित निकाय, जो उसे धारण कर रहा है, संस्था से पारिश्रमिक, वेतन, फीस, परिलब्धियां, भाटक मुक्त आवास या अन्यथा के माध्यम से कुछ भी प्राप्त करता है ;

(ख) "आसन्निकट संव्यवहार" पद से दो संबंधित पक्षकारों के बीच संव्यवहार अभिप्रेत है, जो ऐसे संचालित किया जाता है मानो वह संबंधित न हों, जिससे कि वहां कोई हित का द्वंद नहीं है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन की गई प्रत्येक संविदा या ठहराव, शेयरधारकों को बोर्ड द्वारा की गई रिपोर्ट में ऐसी संविदा या ठहराव करने के औचित्य के साथ निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(3) जहां कोई संविदा या ठहराव किसी निदेशक या किसी कर्मचारी द्वारा बोर्ड की सहमति या उपधारा (1) के अधीन शेयरधारकों की साधारण बैठक में संकल्प द्वारा अनुमोदन अभिप्राप्त किए बिना किया जाता है और यदि इसका, यथास्थिति, बोर्ड या शेयरधारकों द्वारा किसी बैठक में उस तारीख से तीन मास के भीतर, जिसमें ऐसी संविदा या ठहराव किया गया था, अनुसमर्थन नहीं किया जाता है, ऐसी संविदा या ठहराव, यथास्थिति, बोर्ड या शेयरधारकों के विकल्प पर शून्यकरणीय होगा और यदि संविदा या ठहराव किसी निदेशक के संबंधित पक्षकार के साथ है या किसी अन्य निदेशक द्वारा प्राधिकृत किया गया है, तो संबंधित निदेशक संस्था की उसके द्वारा उपगत किसी हानि के लिए क्षतिपूर्ति करेगा ।

(4) उपधारा (3) में अंतर्विष्ट किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संस्था किसी निदेशक या किसी अन्य कर्मचारी के विरुद्ध ऐसी संविदा या ठहराव के परिणामस्वरूप हुई किसी हानि की वसूली के लिए कार्यवाही करेगा, जिसने इस धारा के उपबंधों के उल्लंघन में ऐसी संविदा या ठहराव किया है ।

(5) संस्था का कोई निदेशक या कर्मचारी, जिसने इस धारा के उपबंधों के

उल्लंघन में कोई संविदा या ठहराव किया है या करने के लिए प्राधिकृत किया है, पच्चीस लाख रुपए तक की धनराशि की शास्ति का संदाय करने का दायी होगा ।

20. (1) संस्था के कार्य निष्पादन का, केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले किसी बाह्य अभिकरण द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार, पुनर्विलोकन किया जाएगा । संस्था के कार्य निष्पादन का पुनर्विलोकन ।

(2) बाह्य अभिकरण, संस्था के कार्य निष्पादन का धारा 4 में यथा अधिकथित संस्था के प्रयोजन और उद्देश्यों के संबंध में पिछले पांच वर्ष का पुनर्विलोकन करेगा और ऐसे मुख्य कार्य निष्पादन उपदर्शकों को गणना में लेगा, जो विहित किए जाएं ।

(3) बाह्य अभिकरण अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत करेगा, जो उस पर की गई कार्रवाई, यदि कोई हो, के साथ उसकी एक प्रति ऐसी रिपोर्ट के अनुसरण में केंद्रीय सरकार को रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर अग्रेषित करेगा ।

अध्याय 5

सरकारी अनुदान, प्रत्याभूतियां और अन्य छूट

21. (1) केंद्रीय सरकार, संस्था की जब कभी आवश्यकता हो, नकद या विपणीय सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में अनुदान या अंशदान के माध्यम से सहायता कर सकेगी । अनुदान और अंशदान ।

(2) केंद्रीय सरकार, पूर्वगामी की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नियत तारीख से पहले वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर, नकद या विपणीय सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में संस्था को पांच हजार करोड़ रुपए की रकम का अनुदान या अंशदान करेगी ।

22. सरकार, 0.1 प्रतिशत से अनधिक पर फीस की रियायती दर विहित कर सकेगी, जिस पर सरकारी प्रत्याभूति का किसी संस्था पर, बहुपक्षीय संस्थाओं, संप्रभू धन निधियों और ऐसी अन्य विदेशी संस्थाओं से, जो विहित की जाएं, उधार लेने के लिए विस्तार किया जा सकेगा । सरकारी प्रत्याभूति की रियायती दर ।

23. विनिमय दरों में किन्हीं उतार-चढ़ावों से संस्था को बचाने के लिए उधार और अग्रिम अनुदत्त करने या उसके पुनर्संदाय के प्रयोजनों के लिए संस्था द्वारा विदेशी मुद्रा में किसी उधार लेने के संबंध में हानि से बचने संबंधी लागत की केंद्रीय सरकार द्वारा भागत: या पूर्णत: प्रतिभूति की जा सकेगी । हानि से बचने संबंधी लागत ।

अध्याय 6

लेखा, लेखापरीक्षा और रिपोर्ट

24. (1) संस्था, एक आरक्षित निधि की स्थापना करेगी, जिसमें संस्था को उदभूत होने वाले वार्षिक लाभ में से ऐसी धनराशियों का अंतरण किया जाएगा, जो बोर्ड ठीक समझे : संस्था को उदभूत होने वाले लाभ का आरक्षित निधि में व्ययन ।

परंतु इस उपधारा के अधीन अंतरित की जाने वाली धनराशियां, संस्था को उदभूत होने वाले वार्षिक लाभ के बीस प्रतिशत से कम नहीं होंगी ।

(2) डूबे हुए और संदेहास्पद उधार, आस्तियों का अवक्षयण और सभी अन्य विषय, जिनके लिए उपबंध किया जाना आवश्यक या समीचीन है या जिनके लिए

बैंककारों द्वारा प्राय: उपबंध किया जाता है और उपधारा (1) में निर्दिष्ट आरक्षित निधि के लिए उपबंध किए जाने के पश्चात् और लाभ के एक भाग को ऐसी अन्य आरक्षितियों या निधियों में अंतरित किए जाने के पश्चात्, जो उपयुक्त समझी जाएं, बोर्ड अपने शुद्ध लाभ में से लाभांश का प्रस्ताव कर सकेगा ।

तुलन-पत्र और लेखाओं का तैयार किया जाना ।

25. (1) संस्था का तुलन-पत्र और लेखा ऐसे प्ररूप और रीति में तैयार किया जाएगा, जो विहित की जाए ।

(2) बोर्ड, संस्था की लेखा बहियों को प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को या ऐसी अन्य तारीख को, जो बोर्ड द्वारा अवधारित की जाए, बंद करना और तुलन करना कारित करेगा ।

लेखा परीक्षा ।

26. (1) संस्था के लेखाओं की कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 141 की उपधारा (1) के अधीन लेखा परीक्षकों के रूप में कार्य करने के लिए सम्यक्त: अर्हित लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की जाएगी, जिनकी नियुक्ति, संस्था द्वारा शेयरधारकों की साधारण बैठक में, रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित लेखा परीक्षकों के पैनल में से ऐसी अवधि और ऐसे पारिश्रमिक पर, जो रिजर्व बैंक नियत करे, की जाएगी । 2013 का 18

(2) लेखा परीक्षकों को संस्था के वार्षिक तुलन-पत्र की एक प्रति की पूर्ति की जाएगी और यह उनका कर्तव्य होगा कि वह लेखाओं और उससे संबंधित वाउचरों के साथ उसकी जांच करें और उन्हें संस्था द्वारा रखी गई सभी लेखा बहियों की एक सूची परिदत्त की जाएगी और सभी युक्तियुक्त समय पर उनकी, संस्था की लेखा बहियों, लेखाओं, वाउचरों और अन्य दस्तावेजों तक पहुंच होगी ।

(3) लेखा परीक्षक ऐसे लेखाओं के संबंध में, संस्था के किसी निदेशक या किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी की जांच कर सकेंगे और वह बोर्ड या अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों से ऐसी सूचना और स्पष्टीकरण की अपेक्षा करने के हकदार होंगे, जैसा वह अपने कर्तव्यों के अनुपालन के लिए आवश्यक समझे ।

(4) लेखा परीक्षक उनके द्वारा जांच किए गए वार्षिक तुलन-पत्र और लेखाओं पर संस्था को एक रिपोर्ट देंगे तथा ऐसी प्रत्येक रिपोर्ट में वह यह कथन करेंगे कि क्या उनकी राय में तुलन-पत्र पूर्ण है और सभी आवश्यक विशिष्टियों को अंतर्विष्ट करते हुए उचित और ठीक प्रकार से तुलन-पत्र तैयार किया गया है, जिससे संस्था के कार्यों का सही और उचित दृश्य का प्रदर्शन किया जा सके और यदि उन्होंने संस्था के बोर्ड या किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी से किसी स्पष्टीकरण या सूचना की मांग की थी तो क्या वह दी गई है और क्या वह समाधानप्रद है ।

(5) संस्था, केंद्रीय सरकार और रिजर्व बैंक को उस तारीख से चार मास के भीतर, जिसको लेखाओं को बंद किया जाता है और उनका तुलन किया जाता है, उनके तुलन-पत्र और लेखाओं की प्रति सहित लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की एक प्रति और सुसंगत वर्ष के दौरान संस्था के कार्यकरण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी तथा केंद्रीय सरकार उसकी प्राप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष उसका रखा जाना कारित करेगी ।

27. संस्था, केंद्रीय सरकार और रिजर्व बैंक को समय-समय पर ऐसी विवरणियां प्रस्तुत करेगी, जैसा केंद्रीय सरकार या रिजर्व बैंक अपेक्षा करे । विवरणी और रिपोर्ट ।

अध्याय 7

प्रकीर्ण

28. (1) किसी वित्तीय संस्था द्वारा संस्था से पुन: वित्तपोषण के लिए प्राप्त धनराशियों को संस्था द्वारा अनुदत्त सौकर्य सीमा तक और बकाया शेष को, वित्तीय संस्था द्वारा संस्था के प्रति दायित्व के रूप में प्राप्त किया गया समझा जाएगा तथा तदनुसार उनका ऐसी वित्तीय संस्था द्वारा संस्था को संदाय किया जाएगा । प्राप्यों का दायित्वों के रूप में रखा जाना ।

(2) जहां संस्था द्वारा किसी वित्तीय संस्था को कोई सौकर्य अनुदत्त किया जाता है, सभी धृत प्रतिभूतियां या, जो ऐसी वित्तीय संस्था द्वारा किसी संव्यवहार के लेखे ऐसी वित्तीय संस्था द्वारा धृत की जाएं, जिसके लिए सौकर्य अनुदत्त किया गया था, को वित्तीय संस्था द्वारा संस्था के लिए प्रति दायित्व के रूप में रखा जाएगा ।

29. (1) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन स्थापित संस्था के अतिरिक्त विकास वित्तीय संस्था की स्थापना करने की वांछा करता है, अनुज्ञप्ति के लिए रिजर्व बैंक को आवेदन करेगा । अन्य विकास वित्तीय संस्थाओं की स्थापना ।

(2) रिजर्व बैंक, केन्द्रीय सरकार के साथ परामर्श से रिजर्व बैंक द्वारा विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसे मानदंड, शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए अनुज्ञप्ति अनुदत्त कर सकेगा ।

(3) वह संस्था जिसे उपधारा (3) के अधीन यथास्थिति, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 या बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अनुज्ञप्ति अनुदत्त की गई है ।

1934 का 2
1949 का 10

(4) रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए विनियम इस अधिनियम के अधीन स्थापित संस्था को उस सीमा तक लागू होंगे जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है ।

30. (1) संस्था अपने कृत्यों के दक्ष अनुपालन के लिए उतनी संख्या में अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगी, जो वह आवश्यक या वांछनीय समझे और उनकी सेवा में नियुक्ति के लिए निबंधनों और शर्तों को अवधारित कर सकेगी । अधिकारी और कर्मचारी ।

(2) संस्था उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के कर्तव्य और आचरण, निबंधन और अन्य सेवा शर्तें, जिसके अंतर्गत उनका वेतन और भत्ते तथा उनके फायदे के लिए भविष्य निधि या किसी अन्य निधि की स्थापना और अनुरक्षण है, वह होंगी, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए :

परंतु अधिकारियों और कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्तों का अवधारण, बाजार मानकों द्वारा दिशानिर्देशित नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति द्वारा किया जाएगा ।

(3) संस्था अपने किसी अधिकारी या कर्मचारिवृंद के किसी सदस्य को ऐसी अवधि और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो उसके द्वारा अवधारित की जाए, किसी

अन्य संस्था में, जिसके अंतर्गत कोई अवसंरचना वित्त या विकास संस्था है, तैनात कर सकेगी ।

(4) संस्था, किसी संस्था, जिसके अंतर्गत कोई अवसंरचना वित्त या विकास संस्था है, से किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को ऐसी अवधि के लिए और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, प्रतिनियुक्ति पर प्राप्त कर सकेगी या ले सकेगी ।

(5) इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात, संस्था को किसी अधिकारी या अपने कर्मचारिवृंद के किसी सदस्य को किसी संस्था में ऐसे वेतन, परिलब्धियों या अन्य निबंधनों और शर्तों पर तैनात करने के लिए सशक्त नहीं करेगी, जो उसके लिए उस या उनसे जिसका वह ऐसी प्रतिनियुक्ति से ठीक पूर्व हकदार है, कम अनुकूल है ।

केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

31. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) वह संस्थाएं, जो धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन संस्था के शेयर को धारण कर सकेंगी ;

(ख) धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (ङ) के अधीन शेयरधारकों द्वारा निदेशकों का चयन करने की रीति ;

(ग) धारा 6 की उपधारा (5) के अधीन बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों को शामिल करने के लिए निबंधन और शर्तें ;

(घ) उपधारा (3) के अधीन स्वतंत्र निदेशकों की फीस और प्रतिपूर्ति तथा धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, उप प्रबंधक निदेशक और बोर्ड के अन्य निदेशकों की पदावधि और अन्य सेवा शर्तें ;

(ङ) धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन बोर्ड और समिति के सदस्यों द्वारा हित का प्रकटन करने की रीति ;

(च) धारा 18 की उपधारा (3) के स्पष्टीकरण के अधीन संस्था के निदेशकों या ऐसे निदेशक के किसी नातेदार द्वारा फायदाप्रद हित का अवधारण करने के लिए अवसीमा ;

(छ) धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए संस्था कोई संविदा या ठहराव कर सकेगी ;

(ज) ऐसे पैरामीटर, जिनके आधार पर बाह्य अभिकरण धारा 20 की उपधारा (2) के अधीन संस्था के कार्य निष्पादन का पुनर्विलोकन करेगा ;

(झ) धारा 22 के अधीन सरकार के लिए फीस की दर ;

(ञ) वह प्ररूप और रीति, जिसमें धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन संस्था का तुलन-पत्र और लेखे तैयार किए जाएंगे ;

(ट) कोई अन्य विषय, जो विहित किया गया है या किया जाए ।

बोर्ड की विनियम बनाने की शक्ति ।

32. (1) बोर्ड, केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से और रिजर्व बैंक के परामर्श से सभी विषयों का उपबंध करने के लिए, जिसके लिए इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए उपबंध करना आवश्यक या समीचीन है, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों से संगत विनियम बना सकेगा ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन प्रबंध निदेशक और उप प्रबंध निदेशक को संदेय वेतन और भत्ते ;

(ख) धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन बोर्ड के कारबार का संव्यवहार करने के संबंध में समय और स्थान तथा प्रक्रिया के नियम ;

(ग) धारा 15 की उपधारा (5) के अधीन समितियों के कारबार का संव्यवहार करने के संबंध में समय और स्थान तथा प्रक्रिया के नियम तथा उनके कृत्य ;

(घ) धारा 19 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन संव्यवहारों के लिए रकम ;

(ङ) उपधारा (2) के अधीन संस्था के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और अन्य शर्तें तथा धारा 30 की उपधारा (4) के अधीन प्रतिनियुक्ति के निबंधन और शर्तें ;

(च) धारा 16 की उपधारा (5) और धारा 19 की उपधारा (5) के अधीन विनिर्दिष्ट शास्तियों का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन तंत्र ;

(छ) कोई अन्य विषय, जो विनिर्दिष्ट किया जाए या विनिर्दिष्ट किया जाना है ।

नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना ।

33. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और विनियम, उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के तुरंत बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं कि वह नियम या विनियम नहीं बनाए जाने चाहिए तो तत्पश्चात् वह नियम, विनियम, यथास्थिति, वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होंगे या निष्प्रभावी हो जाएंगे । किंतु नियम या विनियम के इस प्रकार परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

34. इस अधिनियम के या तदधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही, जिसके अंतर्गत सृजित या कंपनी द्वारा किसी संस्था को अंतरित आस्तियां हैं, के संबंध में संस्था या उसके अध्यक्ष या अन्य निदेशकों, कर्मचारियों या अधिकारियों के विरुद्ध नहीं होगी ।

पूछताछ, जांच, अन्वेषण और अभियोजन के लिए मंजूरी ।

35. (1) कोई अन्वेषण अभिकरण, जिसके अंतर्गत पुलिस, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, प्रवर्तन निदेशालय और ऐसे अन्य अभिकरण भी हैं, किंतु जो इन तक सीमित नहीं है, किसी ऐसे अपराध की कोई पूछताछ या जांच या अन्वेषण नहीं करेगा, जिसे निम्नलिखित के पूर्व अनुमोदन के बिना, संस्था के अध्यक्ष या अन्य निदेशकों, कर्मचारियों या अधिकारियों द्वारा उनके पदीय कृत्यों या कर्तव्यों के निर्वहन में की गई किसी सिफारिश या किए गए विनिश्चय के संबंध में किसी विधि के अधीन किया जाना वहां अभिकथित किया गया है,—

(क) जहां अपराध का अध्यक्ष या अन्य निदेशकों द्वारा किया जाना अभिकथित किया गया है, वहां केंद्रीय सरकार के ; या

(ख) जहां अपराध संस्था के किसी कर्मचारी या अधिकारी द्वारा किया जाना अभिकथित किया गया है, वहां प्रबंध निदेशक के :

परन्तु यह कि ऐसे मामलों, जिनमें किसी व्यक्ति की स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई अनुचित लाभ स्वीकार करने या स्वीकार करने का प्रयत्न के आरोप में मौके पर गिरफ्तारी अन्तर्वलित है, के लिए ऐसा कोई अनुमोदन आवश्यक नहीं होगा :

परंतु यह और कि, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या प्रबंध निदेशक अपने विनिश्चय को तीन मास की अवधि के भीतर सूचित करेगा और ऐसी अवधि, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या प्रबंध निदेशक द्वारा उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं, एक मास की अतिरिक्त अवधि तक बढ़ायी जा सकेगी :

परंतु यह और कि केंद्रीय सरकार या प्रबंध निदेशक के इस धारा के अधीन नियत समय अवधि के भीतर अपने विनिश्चय को सूचित करने में असफल रहने पर कोई पूछताछ या जांच या अन्वेषण आरंभ करने के लिए समझे गए अनुमोदन के रूप में नहीं माना जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "अनुचित लाभ" पद का वही अर्थ होगा, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में उसका है । 1988 का 49

(2) कोई न्यायालय, संस्था के अध्यक्ष या अन्य निदेशकों, कर्मचारियों या अधिकारियों द्वारा किसी विधि के अधीन अभिकथित किए गए किसी दंडनीय अपराध का संज्ञान नहीं लेगा, जिसके लिए निम्नलिखित की पूर्व मंजूरी के बिना, उपधारा (1) के अधीन कोई पूछताछ या जांच या अन्वेषण करने की मंजूरी प्रदान की गई थी—

(क) जहां अपराध का अध्यक्ष या अन्य निदेशकों द्वारा किया जाना अभिकथित किया गया है, वहां केंद्रीय सरकार की ; या

(ख) जहां अपराध संस्था के किसी कर्मचारी या अधिकारी द्वारा किया अभिकथित किया गया है, वहां प्रबंध निदेशक की :

परंतु केंद्रीय सरकार या प्रबंध निदेशक, इस उपधारा के अधीन अभियोजन के लिए मंजूरी की अपेक्षा करने वाले प्रस्ताव प्राप्त हो जाने के पश्चात् ऐसे प्रस्ताव पर विनिश्चय को इसकी प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर सूचित करने का भरसक प्रयास करेगी या करेगा :

परंतु यह और कि उस दशा में, जहां अभियोजन के लिए मंजूरी प्रदान करने के प्रयोजन के लिए, विधिक परामर्श की अपेक्षा की जाती है, वहां ऐसी अवधि, उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, एक मास की अतिरिक्त अवधि तक बढ़ायी जा सकेगी :

परंतु यह भी कि पहले परंतुक के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर इस उपधारा के अधीन अपना विनिश्चय संसूचित करने के केंद्रीय सरकार या प्रबंध निदेशक की असफलता अभियोजन के आरंभ किए जाने के लिए समझा गया अनुमोदन नहीं माना जाएगा ।

संस्था द्वारा निदेशकों की नियुक्ति का अभिभावी होना ।

36. (1) जहां उधार लेने वाले अस्तित्व के साथ ऋण और अग्रिम प्रदान करते समय संस्था द्वारा किया गया कोई ठहराव, ऐसे अस्तित्व के एक या अधिक निदेशकों की संस्था द्वारा नियुक्ति या नामनिर्देशन के लिए उपबंध करता है, वहां ऐसा उपबंध और उसके अनुसरण में की गई निदेशकों की नियुक्ति, कंपनी अधिनियम, 2013 में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या ज्ञापन और संगम के अनुच्छेदों या अस्तित्व से संबंधित किसी अन्य लिखित में अंतर्विष्ट तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, विधिमान्य और प्रभावी होगा, और शेयर, अर्हता, आयु सीमा, निदेशक पदों की संख्या, निदेशकों का पद से हटाए जाने और ऐसी किसी विधि या पूर्वोक्त लिखत में अंतर्विष्ट ऐसी ही शर्तों के बारे में कोई उपबंध यथापूर्वोक्त ठहराव के अनुसरण में संस्था द्वारा नियुक्त किसी निदेशक को लागू नहीं होगा ।

2013 का 18

(2) यथापूर्वोक्त रूप में नियुक्त कोई निदेशक,—

2013 का 18

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन स्वतंत्र निदेशकों को उपलब्ध उन्मुक्तियों के प्रयोजन के लिए स्वतंत्र निदेशक समझा जाएगा ;

(ख) संस्था के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगा और संस्था के लिखित आदेश द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा हटाया जा सकेगा या प्रतिस्थापित किया जा सकेगा ;

(ग) स्वयं के निदेशक होने के कारण ही या निदेशक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए लोप की गई किसी बात या उसके संबद्ध में किसी बात के लिए कोई बाध्यता या दायित्व उपगत नहीं करेगा ;

(घ) चक्रानुक्रम द्वारा सेवानिवृत्ति के लिए दायी नहीं होंगे और उस पर ऐसी सेवानिवृत्ति के लिए दायी निदेशकों की संख्या की संगणना करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा ।

प्रश्नगत न किए जाने वाले ऋण या अग्रिम की विधिमान्यता ।

37. (1) किसी तत्समय प्रवृत्त अन्य विधि में तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में संस्था द्वारा मंजूर किए गए किसी ऋण या अग्रिम की विधिमान्यता को यथापूर्वोक्त ऐसी अन्य विधि या किसी संकल्प, संविदा, ज्ञापन, संगम अनुच्छेदों या अन्य लिखत की अपेक्षाओं के अननुपालन के

आधार पर भी प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा की कोई बात किसी कंपनी को कोई ऋण या अग्रिम अभिप्राप्त करने के लिए वहां समर्थ नहीं बनाएगी, जहां ऐसी कंपनी के गठन से संबंधित लिखत ऐसी कंपनी को ऐसा करने के लिए सशक्त नहीं करती है ।

विश्वसनीयता और गोपनीयता के संबंध में बाध्यताएं ।

38. (1) संस्था, इस अधिनियम के द्वारा या किसी अन्य विधि के द्वारा जैसा अन्यथा अपेक्षित है, उसके सिवाय, ऐसी परिस्थितियों में, के सिवाय, जिनमें यह, विधि, या बैंककारों में पद्धतियों और रूढ़िजन्य प्रथाओं के अनुसार, ऐसी जानकारी प्रकट करने के लिए संस्था के संबंध में आवश्यक या समुचित हैं, उसके संघटकों से संबंधित या उसके कार्यकलापों से संबंधित कोई जानकारी प्रकट नहीं करेगा ।

(2) प्रत्येक निदेशक, समिति का सदस्य, संस्था या रिजर्व बैंक का संपरीक्षक, अधिकारी या अन्य कर्मचारी जिसकी सेवाएं इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन संस्था द्वारा उपयोग की जाती हैं, अपने कर्तव्य ग्रहण करने से पूर्व, पहली अनुसूची में दिए गए प्ररूप में विश्वसनीयता और गोपनीयता की घोषणा करेगा ।

न्यायनिर्णयन ।

39. (1) बोर्ड, धारा 16 की उपधारा (5) और धारा 19 की उपधारा (5) के अधीन विनिर्दिष्ट शास्तियों का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए तंत्र स्थापित करने हेतु विनियम बनाएगा ।

(2) विनियमों में, यथास्थिति, निदेशक या किसी कर्मचारी को, जिसके विरुद्ध धारा 16 या धारा 19 के उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए शिकायत की जाती है, सुनवाई का युक्तियुक्ति अवसर तथा शास्ति अधिरोपित करने वाले किसी आदेश के विरुद्ध अपील करने के अधिकार के लिए उपबंध होगा ।

निदेशकों की क्षतिपूर्ति ।

40. (1) संस्था, प्रत्येक निदेशक की, ऐसी हानियों और व्ययों के सिवाय, जो उसके द्वारा जानबूझकर किए गए कार्य या व्यतिक्रम के कारण हुए हों, ऐसी सभी हानियों और व्ययों के लिए क्षतिपूर्ति करेगी, जो उसके द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में या उसके संबंध में उपगत किए जाते हैं ।

(2) कोई निदेशक, संस्था के किसी अन्य निदेशक के प्रति अथवा किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के प्रति या संस्था की ओर से अर्जित या ली गई किसी संपत्ति या प्रतिभूति के मूल्य या हक की किसी अपर्याप्तता या कमी अथवा किसी ऋणी या संस्था के प्रति बाध्यता के अधीन किसी व्यक्ति के दिवालियापन या सदोष कार्य अथवा अपने पद के कर्तव्यों के निष्पादन में या उसके संबंध में सद्भावपूर्वक की गई किसी बात के परिणामस्वरूप संस्था को होनी वाली किसी हानि या व्ययों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा ।

बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 1891 का संस्था के संबंध में लागू होना ।

41. बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 1891, संस्था के संबंध में इस प्रकार लागू होगा, मानो वह उस अधिनियम की धारा 2 में यथापरिभाषित बैंक हो। 1891 का 18

1949 का 10

42. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 34क और 36कघ के उपबंध इस संस्था को लागू होंगे ।

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 34क और 36कघ का संस्था को लागू होना ।

43. कंपनियों के परिसमापन से संबंधित विधि का कोई उपबंध संस्था को लागू नहीं होगा और संस्था को समापन में केंद्रीय सरकार के आदेश से और ऐसी रीति में ही रखा जाएगा, जैसा वह निदेश करे, अन्यथा नहीं ।

संस्था का समापन।

44. इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संस्था इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का पालन करते हुए, ऐसी नीति के प्रश्नों पर निदेशों द्वारा आबद्धकर होगी, जो केंद्रीय सरकार, समय-समय पर, उसे लिखित रूप में दे ।

केंद्रीय सरकार की निदेश जारी करने की शक्ति ।

45. इस अधिनियम के उपबंध, किसी तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी ऐसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाले किसी लिखत में अंतर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे ।

इस अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना ।

46. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी या ऐसे निदेश दे सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है, जो उसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

परंतु ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके बनाए जाने के शीघ्र पश्चात् संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

47. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 का, दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा ।

1934 का अधिनियम सं 2 का संशोधन ।

48. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 का, तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा ।

1949 का अधिनियम सं0 10 का संशोधन ।

पहली अनुसूची

[धारा 38(2) देखिए]

विश्वसनीयता और गोपनीयता की घोषणा

मैं, एतदद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक के, यथास्थिति, निदेशक, संपरीक्षक, अधिकारी या अन्य कर्मचारी के रूप में मुझसे अपेक्षित कर्तव्यों का, जिनका संबंध उचित रूप से उक्त संस्था में मेरे द्वारा धारित पद या ओहदे से है, निष्ठापूर्वक, सत्यनिष्ठा के साथ और अपनी पूर्ण कुशलता तथा योग्यता से निष्पादन और पालन करूँगा ।

2. मैं यह और घोषणा करता हूँ कि मैं उक्त संस्था के कार्यों या उक्त संस्था से व्यवहार करने वाले किसी व्यक्ति के कार्यों से संबद्ध कोई जानकारी, उसके लिए किसी व्यक्ति को, जो उसका विधिक रूप से हकदार नहीं है, संसूचित नहीं करूंगा या न संसूचित होने दूंगा और न किसी ऐसे व्यक्ति को उक्त संस्था का या उसके कब्जे में की तथा उक्त संस्था के कारबार या उक्त संस्था से व्यवहार करने वाले किसी व्यक्ति के कारबार से संबद्ध किन्हीं बहियों या दस्तावेजों का निरीक्षण करने दूंगा और न उसकी उन तक पहुँच होने दूंगा ।

मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए (हस्ताक्षर)

दूसरी अनुसूची

[धारा 47 देखिए]

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 का संशोधन

1934 का 2

धारा 2 संशोधन ।

1. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में, खंड (गगग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'(गगगi) "राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक" से राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 की धारा 3 के अधीन स्थापित संस्था अभिप्रेत है ;

(गगगii) "अन्य विकास वित्तीय संस्था" से राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 की धारा 29 के अधीन अनुज्ञप्त विकास वित्तीय संस्था अभिप्रेत है ;'।

धारा 17 का संशोधन ।

2. मूल अधिनियम की धारा 17 में,—

(क) उपधारा (4छ) में, "या लघु उद्योग बैंक" शब्दों के पश्चात्, "या राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक या अन्य विकास वित्तीय संस्था" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपधारा (4झ) में, "औद्योगिक वित्त निगम" शब्दों के पश्चात् "राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक या अन्य विकास वित्तीय संस्था" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ग) उपधारा (4ट) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(4ठ) राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक या अन्य विकास वित्तीय संस्था को,—

(क) ऐसे स्टॉक, निधियों और प्रतिभूतियों (स्थावर संपत्ति से भिन्न) पर, जिनमें न्यास-धन विनिहित करने के लिए कोई न्यासी भारत में तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा प्राधिकृत है, ऐसा उधार और अग्रिम देना, जो मांगे जाने पर या उस उधार या अग्रिम की तारीख से नब्बे दिन से अनधिक की नियत कालावधि के अवसान पर प्रतिसंदेय है ; या

(ख) ऐसे विनिमयपत्रों या वचनपत्रों की प्रतिभूति पर उधार और अग्रिम देना, जो सद्भावपूर्वक किए गए वाणिज्यिक या व्यापारिक संव्यवहारों से उद्भूत हैं, जिन पर दो या अधिक मान्य हस्ताक्षर हैं और जो ऐसी उधार या अग्रिम की तारीख से पांच वर्ष के भीतर परिपक्व होते हैं ;";

(घ) उपधारा (12ख) में, "औद्योगिक वित्त निगम" शब्दों के पश्चात्, "राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक या अन्य विकास वित्तीय संस्था" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 42 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के उपखंड (ii) में, "या लघु उद्योग बैंक से" शब्दों के पश्चात्, "या राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक से या अन्य विकास वित्तीय संस्था से" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 46ग का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 46ग की उपधारा (2) में,—

(क) खंड (ग) में, "या लघु उद्योग बैंक" शब्दों के पश्चात् "या राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक या अन्य विकास वित्तीय संस्था" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) खंड (घ) में, "या लघु उद्योग बैंक" शब्दों के पश्चात् "या राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक या अन्य विकास वित्तीय संस्था" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

तीसरी अनुसूची

[धारा 48 देखिए]

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 का संशोधन

1949 का 10

1. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 5 में, खंड (जक) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् : — धारा 5 का संशोधन।

'(जख) "राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक" से राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 की धारा 3 के अधीन स्थापित संस्था अभिप्रेत है ;

(जग) "अन्य विकास वित्तीय संस्था" से राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 की धारा 29 के अधीन अनुज्ञप्त विकास वित्तीय संस्था अभिप्रेत है ;'।

2. मूल अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण के खंड (क) के उपखंड (ii) में, "या लघु उद्योग बैंक से" शब्दों के पश्चात्, "या राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक से या अन्य विकास वित्तीय संस्था से" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे । धारा 18 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 34क की उपधारा (3) में, "लघु उद्योग बैंक" शब्दों के पश्चात् "राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक या अन्य विकास वित्तीय संस्था" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे । धारा 34क का संशोधन।

4. धारा 36कघ की उपधारा (3) में, "लघु उद्योग बैंक" शब्दों के पश्चात् "राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक या अन्य विकास वित्तीय संस्था" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे । धारा 36कघ का संशोधन।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारत को अवसंरचना में महत्वपूर्ण विनिधान की आवश्यकता है । अवसंरचना वित्तपोषण के लिए दीर्घावधि और वित्तपोषण विहिन प्राश्रय की अपेक्षा होती है, जो उच्चतर प्रत्यय लागत, विलंब का अधिक जोखिम और परियोजनाओं की असफलता के कारण स्वत: जोखिम पूर्ण प्रकृति का है । पारंपरिक रूप से भारत में बैंक और वित्तीय संस्थाएं अवसंरचना क्षेत्र के लिए वित्तपोषण का महत्वपूर्ण स्रोत रही हैं । जबकि बैंक लघु अवधि दायित्वों पर अधिक निर्भर करते हैं, अवसंरचना वित्तपोषण में अनिवार्य रूप से दीर्घावधि वित्त अंतर्वलित हैं । परिणामस्वरूप, दीर्घावधि वित्तपोषण बैंकों के तुलन-पत्र में आस्ति - दायित्व के बीच बेमेलता का एक आधारभूत स्रोत है, जो क्रमबद्ध चिंताओं को जन्म देता है । दूसरी ओर भारतीय कारपोरेट बांड बाजार में पर्याप्त गहराई नहीं है और भारत की अवसंरचना वित्तपोषण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसकी परिपक्वता अपर्याप्त है । इसे ध्यान में रखते हुए सरकार का निम्न लागत, दीर्घावधि, सतत पूंजी (मुख्यत: ऋण) के प्रवाह को भारत से या विदेश से हरित क्षेत्र अवसंरचना परियोजनाओं को सुकर करने और समर्थ बनाने के लिए मध्यक्षेप आवश्यक है, जिससे भरणीय आर्थिक विकास को पोषित किया जा सके । वित्तपोषण के लिए समाधान, अवसंरचना विकास की चुनौतियों पर ध्यान देने के लिए समग्र रूप से नीति मध्यक्षेपों के भाग होंगे ।

2. इसलिए, प्रधान विकास वित्तपोषण संस्था और विकास बैंक के रूप में अवसंरचना वित्तपोषण के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक नामक कानूनी संस्था को स्थापित करने का विनिश्चय किया गया है । इसका उद्देश्य बाजार असफलताओं पर ध्यान देना है, जो दीर्घावधि, निम्न मार्जिन तथा वित्तपोषण अवसंरचना की जोखिम पूर्ण प्रकृति से उत्पन्न होती हैं । स्थायित्व और भरणीयता के लिए तथा प्रतिस्पर्धी दरों पर संसाधनों को जुटाने के लिए विश्वास को पोषित करने के लिए आरंभ में संस्था पूर्ण रूप से केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में होगी । सरकार, संस्था को अनुदान और अंशदान, विदेशों से उधार के लिए रियायती दर पर प्रतिभूतियां और कोई अन्य रियायतें उपलब्ध कराएगी । संस्था द्वारा स्थायित्व हासिल करने पर स्टेक तनुकरण या विक्रय पर और उसके कारबार प्रचालनों के परिमाण पर विचार किया जा सकेगा किंतु सरकार सभी समय पर संस्था की समादत्त मतदान साम्या शेयर पूंजी के छब्बीस प्रतिशत को धृत करेगी ।

3. संस्था के विकासीय और वित्तीय दोनों उद्देश्य होंगे । अन्य बातों के साथ, इसके अंतर्गत भारत में दीर्घावधि अवसंरचना वित्तपोषण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों की गहन और द्रवित बांड बाजार का विकास करना सम्मिलित होगा, जिसके अंतर्गत निर्गमकर्ता और विनिधानकर्ता आधार को व्यापक बनाना है । इससे बाजार दर व्युत्पन्नियों, प्रत्यय व्युत्पन्नियों, करेंसी व्युत्पन्नियों तथा ऐसे अन्य नूतन वित्तीय लिखतों के लिए बाजारों का विकास करना सुकर होगा, जो अवसंरचना वित्तपोषण के लिए आवश्यक हों । वित्तपोषण के उद्देश्यों में ऐसा साख पूर्ण फ्रेमवर्क स्थापित करना अंतर्वलित होगा, जो घरेलू और वैश्विक सांस्थानिक विनिधानकर्ताओं के साथ ऋण विनिधान में साम्या विनिधान को आकृष्ट करे, जिसके अंतर्गत विनिधानकर्ताओं से उनके

जोखिम लेने की सीमा और आस्ति दायित्व प्रोफाइल के अनुरूप हरित वित्त सम्मिलित है, जिससे भारतीय अवसंरचना सेक्टर की वित्तपोषण की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके ।

4. ऋण प्रतिभूतियां, जिसके अंतर्गत संस्था द्वारा जारी किए गए बंधपत्र और डिबेंचर सम्मिलित हैं, पर अनुमोदित विनिधान प्रतिभूतियों आदि के प्रयोजनों के लिए भारतीय वित्तपोषण विनियामकों द्वारा उनके विनियामित अस्तित्वों के लिए विहित सीमाओं और शर्तों के अनुसार पात्र के रूप में विचार किया जाना चाहिए । संस्था को भारत में या भारत में भागतः और भारत से बाहर आंशिक रूप से अवस्थित अवसंरचना परियोजनाओं में क्रमबद्ध जोखिम कम करने, प्रत्यय बढ़ोतरी, अधीनस्थ ऋण, अधीनस्थ परिपक्वताओं, जो परियोजना जीवन अवधि के अनुकूल हैं और उनके लिए दीर्घावधि वित्तपोषण जुटाने को पूर्विकता देते हुए, उधार देने या विनिधान करने के लिए भी सशक्त किया जाएगा । संस्था को स्वयं या उसकी समानुषंगियों आदि के माध्यम से पूरी की गई परियोजनाओं के परियोजना संरचनाकरण, मानीटरी और मुद्रीकरण वित्तीय उत्पादों और सेवाओं में नूतनता के संवर्धन, जिसके अंतर्गत व्यक्त या अव्यक्त संप्रभू प्रतिभूति सहित दीर्घावधि बंधपत्र जारी करना, अवलेखन और डीलर सेवाओं में भी सम्मिलित किया जा सकेगा । समग्र रूप से संस्था अवसंरचना परियोजनाओं के जीवन चक्र में भारत में भरणीय अवसंरचना वित्तपोषण के लिए सरकारी सहायता के साथ उपबंधकर्ता, समर्थकर्ता और उत्प्रेरक के रूप में समर्थकारी, प्रौद्योगिकी समर्थित पारिस्थितिकीय तंत्र उपलब्ध कराएगी । संस्था अवसंरचना परियोजनाओं को उधार देने के साथ बाजार से एकत्र किए गए ऋण को पोषित करने के ध्येय के साथ बांड बाजार को समर्थन प्रदान करेगी ।

5. तदनुसार, राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास विधेयक, 2021 नामक विधान बनाने का प्रस्ताव है, जो अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित का उपबंध करने के लिए है :—

(i) राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक नामक कानूनी संस्था की भारत में दीर्घावधि अवसंरचना वित्तपोषण के विकास में सहायता देने और अवसंरचना वित्तपोषण के कारबार को चलाने के लिए स्थापना करने हेतु ;

(ii) केंद्रीय सरकार, बहुपक्षीय संस्थाओं, संप्रभू धन निधियों और ऐसी अन्य संस्थाओं को संस्था में साम्या धृत करने के लिए समर्थ करने हेतु ;

(iii) संस्था को भारत में या भागत: भारत में या भागत: भारत से बाहर अवस्थित अवसंरचना परियोजनाओं में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए संस्था को समर्थ करने हेतु ;

(iv) संस्था को रुपए और विदेशी मुद्राओं दोनों में उधार या अन्यथा के माध्यम से धन उधार लेने या एकत्रित करने के लिए समर्थ करने हेतु ;

(v) जोखिम विरक्ति पर ध्यान देने के लिए विनिश्चय करने के लिए पर्याप्त रक्षोपायों का उपबंध करने हेतु ; और

(vi) प्रस्तावित विधान के अधीन स्थापित संस्था के अतिरिक्त अन्य विकास वित्तीय संस्था की स्थापना के लिए उपबंध करने हेतु ।

6. खंडों पर टिप्पण विधेयक में अंतर्विष्ट विभिन्न उपबंधों को विस्तार से स्पष्ट करते हैं ।

7. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
18 मार्च, 2021.

निर्मला सीतारामन

खंडों पर टिप्पण

विधेयक का खंड 1, प्रस्तावित विधेयक का संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 2, विधेयक में प्रयुक्त विभिन्नों पदों को परिभाषित करता है ।

विधेयक का खंड 3, किसी संस्था की स्थापना और निगमन का उपबंध करता है, जिसे एक वित्तीय विकास संस्था के रूप में राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक कहा जाएगा ।

विधेयक का खंड 4, विकासात्मक और वित्तीय दोनों उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संस्था के प्रयोजनों और उद्देश्यों का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 5, संस्था की प्राधिकृत शेयर पूंजी का उपबंध करता है, जो दस खरब रुपए होगी, जिसमें प्रत्येक दस रुपए के पूर्णत: समादत्त शेयर के दस हजार करोड़ रुपए से विभाजित करने का उपबंध करता है । इसके अतिरिक्त यह भी उपबंध करता है कि संस्था के शेयर केंद्रीय सरकार, बहुपक्षीय संस्थाएं, संप्रभु स्वास्थ्य निधियां, पेंशन निधियां, बीमाकर्ता, वित्तीय संस्थाएं, बैंक और अन्य संस्थाओं द्वारा धारित किए जा सकेंगे और केंद्रीय सरकार सभी समयों पर संस्था के शेयरों का कम से कम छब्बीस प्रतिशत धारित करेगी ।

विधेयक का खंड 6, संस्था के निदेशक बोर्ड का उपबंध करता है जिसमें केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष, बोर्ड द्वारा नियुक्त एक प्रबंध निदेशक और तीन से अनधिक उप प्रबंध निदेशक, इसके पदधारियों में से केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट दो निदेशक, शेयर धारकों द्वारा निर्वाचित तीन से अनधिक निदेशक और बोर्ड द्वारा नियुक्त तीन से अनधिक स्वतंत्र निदेशक या बोर्ड के कुल निदेशकों का एक-तिहाई, जो भी अधिक हो, से मिलकर बनेगी ।

विधेयक का खंड 7 यह उपबंध करता है कि संस्थान के कार्य और कारबार का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबंध संस्था के निदेशक बोर्ड में निहित होगा और बोर्ड उन सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा और वे सभी कार्य करेगा, जो संस्थान द्वारा प्रयुक्त की जा सकती हैं या किए जा सकते हैं ।

विधेयक का खंड 8, बोर्ड को सशक्त करता है कि वह इस निदेशक या इस अधिनियम के अधीन गठित समिति या संस्था के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों और कृत्यों का प्रत्यायोजन कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे ।

विधेयक का खंड 9, बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य निदेशकों की पदावधि तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तों का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 10, निदेशकों की निरर्हताएं और उन्हें पद से हटाए जाने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 11, कतिपय मामलों में अध्यक्ष और अन्य निदेशकों को हटाए जाने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 12, निदेशकों की रिक्तियों और उसके द्वारा पद त्याग का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 13, यह उपबंध करता है कि बोर्ड ऐसे समय और स्थानों पर बैठकें करेगा और ऐसी बैठकों के कारबार संव्यवहार के संबंध में ऐसी प्रक्रियाओं के नियमों का पालन करेगा जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए । यह भी उपबंध करता है कि बोर्ड की प्रत्येक बैठक प्रत्येक कलेण्डर तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी और प्रत्येक वर्ष कम से कम ऐसी चार बैठकें आयोजित की जाएंगी ।

विधेयक का खंड 14, उपबंध करता है कि बोर्ड या समिति का कोई कार्य या कार्यवाहियां यथास्थिति, बोर्ड या समिति में विद्यमान किसी रिक्ति या उसके गठन में केवल किसी त्रुटि के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।

विधेयक का खंड 15 उपबंध करता है कि बोर्ड, एक नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति, एक जोखिम प्रबंध समिति और एक संपरीक्षा समिति और ऐसी ही अन्य समितियां, जो वह आवश्यक समझे, का गठन करेगा ।

विधेयक का खंड 16, यह उपबंध करता है कि प्रत्येक निदेशक ऐसी पहली बैठक में, जिसमें वह निदेशक के रूप में भाग लेता है और उसके पश्चात् प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बोर्ड की पहली बैठक में या जब कभी पहले से किए गए प्रकटनों में कोई परिवर्तन होता है तो ऐसे परिवर्तन के पश्चात् कोई बोर्ड की पहली बैठक में किसी निगमित निकाय ने अपना संबंध या हित, जिसके अंतर्गत शेयर धारिता भी है, ऐसी रीति में, जो केंद्रीय सरकार द्वारा उपबंधित किया जाए, प्रकट करेगा । इसमें उक्त खंड के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति का भी उपबंध है ।

विधेयक का खंड 17 संस्था के कृत्य और शक्तियां विनिर्दिष्ट करता है जिसमें अन्य बातों के साथ बंधपत्र और व्युत्पाद के लिए गहन और तरल बाजार का विकास ; भारत में या भागत: भारत में अवस्थित अवसंरचना विकास परियोजनाओं को उधार देना, विनिधान ; अवसंरचना के वित्त पोषण के लिए ऋण और अग्रिमों का विस्तार; विद्यमान ऋणों का भार लेना और पुनर्वित्तपूर्ति; उसके द्वारा प्रदत्त ऋण और अग्रिमों का अंतरण; स्टॉक, शेयरों, बंधपत्रों, डिबेंचरों स्टॉकों, ऋण प्रतिभूतियों के लिए प्रतिश्रुत करना या क्रय, निम्नांकन, अर्जन, धारण या विक्रय करना; धन, आदि उधार लेना या वसूल करना, सम्मिलित हैं ।

विधेयक का खंड 18 संस्था को कतिपय कारबार करने से प्रतिषिद्ध करता है जिसमें अन्य बातों के साथ, संस्था द्वारा उसके अपने बंधपत्र या डिबेंचरों की प्रतिभूति पर किसी ऋण या अभिदाय का नहीं दिया जाना, संस्था द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्ति निकाय को जिसमें संस्था का कोई निदेशक, स्वत्वधारी, भागीदार, निदेशक, कर्मचारी या प्रत्याभूति-दाता है या जिसमें संस्था के एक या अधिक निदेशक कोई सारवान हित रखते हैं, किसी ऋण या अभिदाय का नहीं दिया जाना सम्मिलित है ।

विधेयक का खंड 19 संस्था को उसमें विनिर्दिष्ट कतिपय संव्यवहारों के संबंध

में संबंधित पक्षकार के साथ संविदा या ठहराव करने से प्रतिषिद्ध करता है ।

विधेयक का खंड 20 संस्था के कार्य निष्पादन का किसी बाह्य अभिकरण द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार पुनर्विलोकन करने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 21 यह उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार, संस्था की जब कभी आवश्यकता हो नकद या विपणीय सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में अनुदान या अंशदान से सहायता कर सकेगी यह और उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार, वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर, नकद या विपणीय सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में संस्था को पांच हजार करोड़ रुपए की रकम का अनुदान या अंशदान करेगी ।

विधेयक का खंड 22 यह उपबंध करता है कि सरकार, 0.1 प्रतिशत से अनधिक पर फीस की रियायत दर विहित कर सकेगी, जिस पर सरकारी प्रतिभूति का किसी संस्था पर, बहुपक्षीय संस्थाओं, स्वयंभू धन निधियों और ऐसी अन्य विदेशी संस्थाओं से, जो विहित की जाए, उधार लेने के लिए विस्तार किया जा सकेगा ।

विधेयक का खंड 23 यह उपबंध करता है कि विनिमय दरों में किन्हीं उतार-चढ़ावों से संस्था को बचाने के लिए उधार और ऋण अनुदत्त करने या उसके पुनर्संदाय के प्रयोजनों के लिए संस्था द्वारा विदेशी मुद्रा में किसी उधार लेने के संबंध में हानि से बचने संबंधी लागत की केन्द्रीय सरकार द्वारा भागत: या पूर्णत: प्रतिभूति की जाएगी ।

विधेयक का खंड 24 आरक्षित निधि की स्थापना करने का उपबंध करता है, जिसमें उद्भूत होने वाले वार्षिक लाभ में से ऐसी धनराशियों का अंतरण किया जा सकेगा, जो बोर्ड ठीक समझे । जो संस्था को उद्भूत होने वाले वार्षिक लाभ के 20 प्रतिशत से कम नहीं हो ।

विधेयक का खंड 25 बोर्ड के तुलनपत्र और लेखा के तैयार किए जाने का उपबंध करता है । यह और उपबंध करता है कि बोर्ड, संस्था की लेखा बहियों को प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को ऐसी अन्य तारीख को, जो बोर्ड द्वारा अवधारित की जाए बंद करना और तुलन करना कारित करेगा ।

विधेयक का खंड 26 यह उपबंध करता है कि संस्था के लेखाओं की कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 141 की उपधारा (1) के अधीन लेखा परीक्षकों के रूप में कार्य करने के लिए सम्यकत: अर्हित लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की जाएगी, जिनकी नियुक्ति संस्था द्वारा रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित लेखा परीक्षकों के पैनल में से और ऐसे पारिश्रमिक पर, जो रिजर्व बैंक नियत करे की जाएगी ।

विधेयक का खंड 27 यह उपबंध करता है कि संस्था केन्द्रीय सरकार और रिजर्व बैंक को समय-समय पर ऐसी विवरणियां प्रस्तुत करेगी, जैसा केन्द्रीय सरकार या रिजर्व बैंक अपेक्षा करे ।

विधेयक का 28 यह उपबंध करता है कि किसी वित्तीय सौकार्य संस्था से पुनर्वित्तपोषण के लिए प्राप्त धनराशियों को संस्था द्वारा अनुदत्त सौकार्य सीमा तक और बकाया शेष को वित्तीय संस्था द्वारा संस्था के प्रति दायित्व के रूप में प्राप्त किया गया समझा जाएगा । यह और उपबंध करती है कि जहां संस्था द्वारा किसी वित्तीय संस्था को कोई सौकार्य अनुदत्त किया जाता है, सभी धृत प्रतिभूतियां या जो

ऐसी वित्तीय संस्था द्वारा किसी संव्यवहार के लेखे ऐसी वित्तीय संस्था द्वारा धृत की जाएं, जिसके लिए सौकार्य अनुदत्त किया गया था, को वित्तीय संस्था द्वारा संस्था के लिए दायित्व के रूप में रखा जाएगा ।

विधेयक का खंड 29 यह उपबंध करता है कि कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन स्थापित संस्था के अतिरिक्त किसी विकास वित्तीय संस्था की स्थापना करने की वांछा करता है, अनुज्ञप्ति के लिए रिजर्व बैंक को आवेदन करेगा और रिजर्व बैंक, केन्द्रीय सरकार के साथ परामर्श से ऐसे मानदंड, निबंधन और शर्तें, जो रिजर्व बैंक द्वारा विनियमों द्वारा विहित की जाएं, के अधीन रहते हुए अनुज्ञप्ति अनुदत्त कर सकेगा ।

विधेयक का खंड 30 यह उपबंध करता है कि संस्था अपने कृत्यों के दक्ष अनुपालन के लिए उतनी संख्या में अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगी, जो वह आवश्यक या वांछनीय समझे और उनकी सेवा में नियुक्ति के लिए निबंधनों और शर्तों को अवधारित कर सकेगी ।

विधेयक का खंड 31 केन्द्रीय सरकार को अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति हेतु सशक्त करता है । उक्त खंड का उपखंड (2) ऐसे मामलों को विनिर्दिष्ट करता है जिनके संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे नियम बनाए जा सकते हैं ।

विधेयक का खंड 32 बोर्ड को केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से और रिजर्व बैंक के परामर्श से विधेयक के उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए विनियम बनाने हेतु सशक्त करता है । उक्त खंड का उपखंड (2) ऐसे मामलों को विनिर्दिष्ट करता है जिनके संबंध में बोर्ड द्वारा ऐसे विनियम बनाए जा सकते हैं ।

विधेयक का खंड 33 नियमों और विनियमों को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाने के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 34 संस्था या उसके अध्यक्ष या अन्य निदेशकों, कर्मचारियों या अधिकारियों द्वारा सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के संरक्षण के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 35 यह उपबंध करता है कि कोई अन्वेषण अभिकरण, जिसमें पुलिस, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, प्रवर्तन निदेशालय और ऐसे अन्य अभिकरण भी हैं, किंतु जो उन तक सीमित नहीं है, संस्था के अध्यक्ष या अन्य निदेशकों, कर्मचारियों या अधिकारियों द्वारा, अपने पदीय कृत्यों या कर्तव्यों के निर्वहन में, की गई किसी सिफारिश या किए गए विनिश्चय के संबंध में किसी विधि के अधीन किए जाने के लिए अभिकथित किसी अपराध में कोई पूछताछ या जांच या अन्वेषण, उसमें विनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना, संचालित नहीं करेगा ।

विधेयक का खंड 36 यह उपबंध करता है कि जहां उधार लेने वाले अस्तित्व के साथ ऋण और अग्रिम प्रदान करते समय संस्था द्वारा किया गया कोई ठहराव, ऐसे अस्तित्व के एक या अधिक निदेशकों की संस्था द्वारा नियुक्ति या नामनिर्देशन के लिए उपबंध करता है, वहां ऐसा उपबंध और उसके अनुसरण में की गई निदेशकों की

नियुक्ति, कंपनी अधिनियम, 2013 में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या ज्ञापन और संगम-अनुच्छेदों में या अस्तित्व से संबंधित किसी अन्य लिखित में अंतर्विष्ट तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, विधिमान्य और प्रभावी होगा, और शेयर, अर्हता, आयु सीमा, निदेशक पदों की संख्या, निदेशकों का पद से हटाए जाने और ऐसी किसी विधि या पूर्वोक्त लिखत में अंतर्विष्ट ऐसी ही शर्तों के बारे में कोई उपबंध यथापूर्वोक्त ठहराव के अनुसरण में संस्था द्वारा नियुक्त किसी निदेशक को लागू नहीं होगा ।

विधेयक का खंड 37 यह उपबंध करता है कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, इस विधेयक के उपबंधों के अनुसरण में संस्था द्वारा मंजूर किए गए किसी ऋण या अग्रिम की विधिमान्यता को यथापूर्वोक्त ऐसी अन्य विधि या किसी संकल्प, संविदा, ज्ञापन, संगम-अनुच्छेदों या अन्य लिखत की अपेक्षाओं के अननुपालन के आधार पर भी प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।

विधेयक का खंड 38 संस्था द्वारा विश्वसनीयता और गोपनीयता के संबंध में बाध्यताओं के लिए उपबंध करता है । खंड यह और उपबंध करता है कि प्रत्येक निदेशक, समिति का सदस्य, संस्था या रिजर्व बैंक का संपरीक्षक, अधिकारी या अन्य कर्मचारी, जिसकी सेवाएं इस विधेयक के उपबंधों के अधीन संस्था द्वारा उपयोग की जाती हैं, अपने कर्तव्य ग्रहण करने से पूर्व, विधेयक की पहली अनुसूची में दिए गए प्ररूप में विश्वसनीयता और गोपनीयता की घोषणा करेगा ।

विधेयक का खंड 39, बोर्ड के लिए यह उपबंध करता है कि वह खंड 16 के उपखंड (5) और खंड 19 के उपखंड (5) के अधीन विनिर्दिष्ट शास्तियों का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए तंत्र स्थापित करने हेतु विनियम बनाए ।

विधेयक का खंड 40 यह उपबंध करता है कि संस्था, प्रत्येक निदेशक की, ऐसी हानियों और व्ययों के सिवाय, जो उसके द्वारा जानबूझकर किए गए कार्य या व्यतिक्रम के कारण हुए हों, ऐसी सभी हानियों और व्ययों के लिए क्षतिपूर्ति करेगी, जो उसके द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में या उसके संबंध में उपगत किए जाते हैं ।

विधेयक का खंड 41 यह उपबंध करता है कि बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 1891, संस्था के संबंध में इस प्रकार लागू होगा, मानो वह उस अधिनियम की धारा 2 में यथापरिभाषित बैंक हो ।

विधेयक का खंड 42 यह उपबंध करता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 34क और 36कघ के उपबंध इस संस्था को लागू होंगे ।

विधेयक का खंड 43 यह उपबंध करता है कि कंपनियों के परिसमापन से संबंधित विधि का कोई उपबंध संस्था को लागू नहीं होगा और संस्था को समापन में केंद्रीय सरकार के आदेश से और ऐसी रीति में ही रखा जाएगा, जैसा वह निदेश करे, अन्यथा नहीं ।

विधेयक का खंड 44 केंद्रीय सरकार को संस्था को निदेश देने के लिए सशक्त करता है और संस्था इन निदेशों से आबद्धकर होगी ।

विधेयक का खंड 45 यह उपबंध करता है कि इस विधेयक के उपबंध, किसी

तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या ऐसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाले किसी लिखत में अंतर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे ।

विधेयक का खंड 46 केंद्रीय सरकार को, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध करने के लिए, जो विधेयक के उपबंधो से असंगत नहीं है, जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन हों, सशक्त करता है ।

विधेयक का खंड 47 भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 का, विधेयक की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में, संशोधन करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 48 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 का, विधेयक की तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में, संशोधन करने के लिए है ।

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खंड 3 का उपखंड (1), वित्तीय संस्था के रूप में, जिसे राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण और विकास बैंक कहा जाएगा, एक संस्था का उपबंध करने के लिए है ।

2. विधेयक का खंड 5 का उपखंड (1), संस्था की प्राधिकृत शेयरपूंजी दस खरब रुपए होगी जो प्रत्येक दस रुपए के पूर्णतः समादत्त शेयर के दस हजार करोड़ रुपए से विभाजित होगी, का उपबंध करने के लिए है । उक्त खंड का उपखंड (2) यह उपबंध करता है कि संस्था का जारी किया गया शेयरपूंजी केंद्रीय सरकार को ऐसी तारीख को, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, आवंटित किया जाएगा । उक्त खंड के उपखंड (3) का पहला परंतुक उपबंध करता है कि केंद्रीय सरकार सभी समयों पर संस्था के शेयरों का कम से कम 26 प्रतिशत धारित करेगी । उक्त खंड का उपखंड (4) उपबंध करता है कि बोर्ड, केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से शेयरों को क्रय द्वारा वापस लेते हुए उसकी पूंजी को कम कर सकेगा, का उपबंध करने के लिए है ।

3. विधेयक का खंड 17 का उपखंड (3), केंद्रीय सरकार, संस्थान द्वारा अनुरोध किए जाने पर संस्थान द्वारा जारी किए गए बंधपत्रों, डिबेंचरों और ऋणों को प्रत्याभूत कर सकेगी जिससे मूल का प्रतिदाय और ब्याज का संदाय ऐसी दर, निबंधनों और शर्तों पर किया जा सके जिस पर केन्द्रीय सरकार सहमत हो, का उपबंध करने के लिए है ।

4. विधेयक का खंड 21 का उपखंड (1) यह उपबंध करता है कि केंद्रीय सरकार, संस्था की जब कभी आवश्यकता हो, नकद या विपणीय सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में अनुदान या अंशदान के माध्यम से सहायता कर सकेगी । उक्त खंड 21 का उपखंड (2) यह उपबंध करता है कि केंद्रीय सरकार, पूर्वोक्त की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नियत तारीख से पहले वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर, नकद या विपणीय सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में संस्था को पांच हजार करोड़ रुपए की रकम का अनुदान या अंशदान करेगी ।

5. विधेयक का खंड 22, सरकार, 0.1 प्रतिशत से अनधिक पर फीस की रियायती दर विहित कर सकेगी, जिस पर सरकारी प्रत्याभूति का किसी संस्था पर, बहुपक्षीय संस्थाओं, स्वयंभू धन निधियों और ऐसी अन्य विदेशी संस्थाओं से, जो केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, उधार लेने के लिए विस्तार किया जा सकेगा, का उपबंध करने के लिए है ।

6. विधेयक का खंड 23 का उपखंड (1), विनिमय दरों में किन्हीं उतार-चढ़ावों से संस्था को बचाने के लिए उधार और अग्रिम अनुदत्त करने या उसके पुनर्संदाय के प्रयोजनों के लिए संस्था द्वारा विदेशी मुद्रा में किसी उधार लेने के संबंध में हानि से बचने संबंधी लागत की केंद्रीय सरकार द्वारा भागत: या पूर्णत: प्रतिभूति की जा सकेगी, का उपबंध करने के लिए है ।

7. वर्तमान में, उपरोक्त पैरा (3), पैरा (5) और पैरा (6) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए, ऐसे आवर्ती या अनावर्ती व्ययों का प्राक्कलन संभाव्य नहीं है ।

8. विधेयक, यदि अधिनियमित किया जाए या प्रवर्तन में लाया जाए तो पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित आवर्ती और अनावर्ती व्ययों से भिन्न कोई अन्य व्यय अंतर्वलित नहीं होंगे ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 31, केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा प्रस्तावित विधान के उपबंधों को क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करने के लिए है । उक्त खंड का उपखंड (2) ऐसे विषयों के संबंध में विनिर्दिष्ट करता है जिसके संबंध में ऐसे नियम बना सकें । इन विषयों में सम्मिलित होंगे - (क) वह संस्थाएं, जो खंड 5 के उपखंड (3) के अधीन संस्था के शेयर को धारण कर सकेंगी, (ख) खंड 6 के उपखंड (1) के खंड (ङ) के अधीन शेयरधारकों द्वारा निदेशकों का चयन करने की रीति, (ग) खंड 6 के उपखंड (5) के अधीन बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों को शामिल करने के लिए निबंधन और शर्तें, (घ) उपखंड (3) के अधीन स्वतंत्र निदेशकों की फीस और प्रतिपूर्ति तथा खंड 9 के उपखंड (5) के अधीन अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, उप प्रबंधक निदेशक और बोर्ड के अन्य निदेशकों की पदावधि और अन्य सेवा शर्तें, (ङ) खंड 16 के उपखंड (1) के अधीन बोर्ड और समिति के सदस्यों द्वारा हित का प्रकटन करने की रीति, (च) खंड 18 के उपखंड (3) के स्पष्टीकरण के अधीन संस्था के निदेशकों या ऐसे निदेशक के किसी नातेदार द्वारा फायदाप्रद हित का अवधारण करने के लिए अवसीमा, (छ) खंड 19 के उपखंड (1) के अधीन शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए संस्था कोई संविदा या ठहराव कर सकेगी, (ज) ऐसे पैरामीटर, जिनके आधार पर बाह्य अभिकरण, खंड 20 के उपखंड (2) के अधीन संस्था के कार्य निष्पादन का पुनर्विलोकन करेगा, (झ) खंड 22 के अधीन सरकार के लिए फीस की दर, (ञ) वह प्ररूप और रीति, जिसमें खंड 25 के उपखंड (1) के अधीन संस्था का तुलन-पत्र और लेखे तैयार किए जाएंगे, (ट) विधेयक के उपबंधों के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा उपबंधित कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना अपेक्षित है या किया जाए ।

2. विधेयक का खंड 32, बोर्ड, केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से और रिजर्व बैंक के परामर्श से इस विधेयक के उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजन हेतु सशक्त करने के लिए है । इन विषयों में सम्मिलित होंगे - (क) खंड 9 के उपखंड (4) के अधीन प्रबंध निदेशक और उप प्रबंध निदेशक को संदेय वेतन और भत्ते, (ख) खंड 13 के उपखंड (1) के अधीन बोर्ड के कारबार का संव्यवहार करने के संबंध में समय और स्थान तथा प्रक्रिया के नियम, (ग) खंड 15 के उपखंड (5) के अधीन समितियों के कारबार का संव्यवहार करने के संबंध में समय और स्थान तथा प्रक्रिया के नियम तथा उनके कृत्य, (घ) खंड 19 के उपखंड (1) के परंतुक के अधीन संव्यवहारों के लिए रकम, (ङ) उपखंड (2) के अधीन संस्था के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और अन्य शर्तें तथा खंड 30 के उपखंड (4) के अधीन प्रतिनियुक्ति के निबंधन और शर्तें, (च) खंड 16 के उपखंड (5) और खंड 19 के उपखंड (5) के अधीन विनिर्दिष्ट शास्तियों का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए खंड 39 के उपखंड (1) के अधीन तंत्र, (छ) कोई अन्य विषय, जो विनिर्दिष्ट किया जाए या विनिर्दिष्ट किया जाना है ।

3. विधयेक का खंड 29 का उपखंड (2), रिजर्व बैंक, केन्द्रीय सरकार के साथ परामर्श से रिजर्व बैंक द्वारा विनियमों द्वारा उक्त खंड के अधीन विनिर्दिष्ट ऐसे

मानदंड, शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के लिए सशक्त करने के लिए है ।

4. वे विषय जिनके संबंध में ऊपर उल्लिखित नियम और विनियम बनाए जा सकेंगे प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरे के विषय हैं और इस प्रकार प्रस्तावित विधेयक में ही उनके लिए उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । अतः विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

उपाबंध

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का अधिनियम संख्यांक 2) से उद्धरण

* * * * * *

17. रिजर्व बैंक एतत्पश्चात् विनिर्दिष्ट अनेक प्रकार के कारबार चलाने और उनका निष्पादन करने के लिए प्राधिकृत होगा, अर्थात् :— कारबार जिसे रिजर्व बैंक कर सकेगा ।

* * * * * *

(4छ) धारा 46ग के अधीन स्थापित राष्ट्रीय औद्योगिक उधार (दीर्घकालिक प्रवर्तन) निधि में से निआ बैंक या पुनर्निर्माण बैंक या लघु उद्योग बैंक को उधार और अग्रिम धन देना, तथा उसके बंधपत्र और डिबेंचर क्रय करना;

* * * * * *

(4झ) अनुसूचित बैंकों, निआ बैंक पुनर्निर्माण बैंक या लघु उद्योग बैंक औद्योगिक वित्त निगम और किसी अन्य ऐसी वित्तीय संस्था को, जो रिजर्व बैंक की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अनुमोदित की जाए, ऐसा उधार और अग्रिम देना जो मांगे जाने पर या अन्यथा और ऐसी प्रतिभूति पर और ऐसे अन्य निबंधनों तथा शर्तों पर प्रतिसंदेय है, जिनका इस निमित्त अनुमोदन केन्द्रीय बोर्ड, यथास्थिति, ऐसे बैंकों, या वित्तीय संस्था को पूंजीगत माल के आयात के वित्तपोषण के प्रयोजन के लिए या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले अन्य प्रयोजनों के लिए, रिजर्व बैंक से विदेशी मुद्रा क्रय करने में समर्थ बनाने के लिए करे;

* * * * * *

(12ख) अनुसूचित बैंकों, निआ बैंक, या पुनर्निर्माण बैंक या लघु उद्योग बैंक, औद्योगिक वित्त निगम, किसी राज्य वित्तीय निगम और किसी अन्य ऐसी वित्तीय संस्था को, जो रिजर्व बैंक की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित की जाए, और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो इस निमित्त केन्द्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे, यथास्थिति, ऐसे बैंक या वित्तीय संस्था के वचनपत्र पर विदेशी करेंसियों में उधार और अग्रिम देना :

परन्तु यह तब जब कि, यथास्थिति, उधार लेने वाला बैंक या वित्तीय संस्था इस आशय की लिखित घोषणा कर देती है कि—

(क) उसने अन्तराष्ट्रीय व्यापार का वित्तपोषण करने के लिए या पूंजीगत माल के आयात के लिए या ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाएं उधार और अग्रिम दिया है; और

(ख) इस प्रकार दिए गए और किसी भी समय बकाया उधारों या अग्रिमों की रकम उसके द्वारा रिजर्व बैंक से लिए गए उधार या अग्रिमों की बकाया रकम से कम नहीं होगी;

* * * * * *

अनुसूचित बैंकों की नकद आरक्षितियों का रिजर्व बैंक में रखा जाना ।

42. (1) द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित हर बैंक, रिजर्व बैंक में एक औसत दैनिक अतिशेष रखेगा जिसकी रकम उस बैंक के, उपधारा (2) में निर्दिष्ट विवरणी में यथादर्शित भारत में मांग और कालिक दायित्वों के योग के ऐसे प्रतिशत से जिसे बैंक, समय-समय पर देश में आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करने की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, भारत के राजपत्र में अधिसूचित करे, कम नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

* * * * * *

(ग) "दायित्वों" के अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं हैं :—

* * * * * *

(ii) रिजर्व बैंक से अथवा निआ बैंक से अथवा पुनर्निर्माण बैंक से अथवा राष्ट्रीय आवास बैंक से अथवा लघु उद्योग बैंक से अथवा राष्ट्रीय बैंक से ली गई उधार की कोई रकम, तथा

* * * * * *

राष्ट्रीय औद्योगिक प्रत्यय (दीर्घकालिक प्रवर्तन) निधि ।

46ग. (1) * * * * *

(2) उक्त निधि की रकम रिजर्व बैंक द्वारा केवल निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए लगाई जाएगी, अर्थात्:—

* * * * * *

(ग) यथास्थिति, निआ बैंक या पुनर्निर्माण बैंक के किसी कारबार के प्रयोजनों के लिए यथास्थिति, निआ बैंक या पुनर्निर्माण बैंक या लघु उद्योग बैंक को उधारों और अग्रिमों का दिया जाना;

(घ) यथास्थिति, निआ बैंक या पुनर्निर्माण बैंक या लघु उद्योग बैंक द्वारा पुरोधृत बंधपत्रों और डिबेंचरों का क्रय करना ।

* * * * * *

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का अधिनियम संख्यांक 10) से उद्धरण

* * * * * *

नकद आरक्षिति ।

18. (1) प्रत्येक बैंकंकारी कंपनी, जो अनुसूचित बैंक नहीं है, भारत में दैनिक आधार पर अपने पास नकद आरक्षिति के रूप में अथवा रिजर्व बैंक के पास किसी चालू खाते में अतिशेष के रूप में अथवा चालू खातों में शुद्ध अतिशेष के रूप में अथवा पूर्वोक्त किसी एक या अधिक रूप में उतनी राशि रखेगी जितनी पूर्ववर्ती द्वितीय पक्ष के अंतिम शुक्रवार को भारत में उसके मांग और कालिक दायित्वों के योग के ऐसे प्रतिशत के बराबर हो, जो रिजर्व बैंक, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर, देश की आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करने की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करे और प्रत्येक मास के बीसवें दिन के पूर्व रिजर्व बैंक को विवरणी देगी जिसमें वह रकम, जो पूर्ववर्ती मास के दौरान दूसरे शुक्रवारों

को इस प्रकार धारित थी, दर्शित होगी और जिसके साथ ऐसे प्रत्येक शुक्रवार को या यदि ऐसा कोई शुक्रवार परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अधीन लोक अवकाश दिन है तो पूर्ववर्ती कार्य दिवस को कारबार के बन्द होने के समय भारत में उसकी मांग और कालिक दायित्वों की विशिष्टियां होंगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में और धारा 24 में—

(क) "भारत के दायित्वों" के अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं हैं, अर्थात् :—

* * * * * *

(ii) रिजर्व बैंक या निआ बैंक या पुनर्निर्माण बैंक या राष्ट्रीय आवास बैंक या राष्ट्रीय बैंक, लघु उद्योग बैंक से बैंककारी कंपनी द्वारा लिया गया कोई अग्रिम धन ;

* * * * * *

34क. (1) * * * * *

गोपनीय स्वरूप के दस्तावेजों का पेश किया जाना ।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "बैंककारी कंपनी" के अंतर्गत रिजर्व बैंक, निआ बैंक, पुनर्निर्माण बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक, राष्ट्रीय बैंक, लघु उद्योग बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, तत्स्थानी नया बैंक, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक और समनुषंगी बैंक हैं ।

* * * * * *

भाग 2ख

बैंककारी कंपनियों के संबंध में कतिपय क्रियाकलापों का प्रतिषेध

36कघ. (1) * * * * *

बैंककारी कंपनियों के संबंध में कतिपय क्रियाकलापों के लिए दंड ।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "बैंककारी कम्पनी" के अन्तर्गत रिजर्व बैंक, निआ बैंक, पुनर्निर्माण बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक, राष्ट्रीय बैंक, लघु उद्योग बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, तत्स्थानी नया बैंक, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक और समनुषंगी बैंक है ।

* * * * * *

MGIPMRND—1689LS(CRC)—18-3-2021.